



शोध सरोवर पत्रिका

आरती, वषुतक्काट्टु, तिरुवनन्तपुरम - 695 014, केरल राज्य।

RNI No. KERHIN/2017/70008 ISSN No. 2456-625 X

वर्ष 6

अंक 21

त्रैमासिक हिन्दी शोध पत्रिका

10 जनवरी 2022

		इस अंक में	
पीयर रिब्यू समिति:			
डॉ.टी.के.नारायण पिल्लै	संपादकीय	:	3
डॉ.शांति नायर	हिन्दी में कोश साहित्य	:	डॉ.बिन्दु.सी.आर 5
डॉ.के.श्रीलता	राजभाषा हिन्दी में रोज़गार के अवसर	:	डॉ.लक्ष्मी.एस.एस 11
मुख्य संपादक	हिन्दी में पारिभाषिक शब्द	:	डॉ.षीना.यू.एस 15
डॉ.पी.लता	विदेशों में हिन्दी	:	डॉ.धन्या.एल 19
प्रबंध संपादक	कंप्यूटर एवं राजभाषा हिन्दी	:	अजित्रा.आर.एस 24
डॉ.एस.तंकमणि अम्मा	वैज्ञानिक एवं तकनीकी हिन्दी	:	डॉ.विजयलक्ष्मी.एल 26
सह संपादक	सही उत्तर चुनें	:	डॉ.पी.लता 27
प्रो.सती.के	उषा प्रियंवदा की कहानियों में बदलते	:	डॉ.एलिसबत जॉर्ज 28
डॉ.एस.लीलाकुमारी अम्मा	जीवन-मूल्य		
श्रीमती वनजा.पी	नाटककार मृदुला गर्ग: बाल जीवन और नारी	:	डॉ.सुमा.ऐ 31
संपादक मंडल	जीवन की पारखी		
डॉ.बिन्दु.सी.आर	सूचना प्रौद्योगिकी और हिन्दी भाषा पर विचार	:	डॉ. कमलानाथ एन.एम 35
डॉ.षीना.यू.एस	वार्षिक रिपोर्ट (2021-2022) अखिल	:	डॉ.पी.लता 38
डॉ.सुमा.आई	भारतीय हिन्दी अकादमी		
डॉ.एलिसबत जोर्ज	प्रिय कथा लेखिका स्मृतिशेष हुई	:	डॉ.पी.लता 39
डॉ.लक्ष्मी.एस.एस	प्रो.आर.जनार्दनन पिल्लै (जीवनी)	:	डॉ.पी.लता 41
डॉ.धन्या.एल	'पीली आँधी' की 'सोमा' एवं 'द ग्रेट	:	डॉ. धन्या एल 44
डॉ.कमलानाथ.एन.एम	इंडियन किचन' की 'निमिशा सजयन'-		
डॉ.अश्वती.जी.आर	नारी अधिकार के संदर्भ में		

सूचना : पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार संबंधित लेखकों के हैं। उनसे संपादक तथा प्रकाशक का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

केरल विश्वविद्यालय से अनुमोदित पत्रिका

लेखकों से निवेदन

भाषा, साहित्य, समाज एवं संस्कृति पर लिखी गयी स्तरीय मैलिक तथा अप्रकाशित रचनाएँ भेजें। प्राकशनार्थ अनूदित रचनाओं के साथ मूल लेखकों से प्राप्त सहमति पत्र भी भेजें। रचनाएँ डी.वी.सुरेख ई.एन फोण्ट में वर्ड या पेजमेकर फाइल में भेजें। रचना के अंत में अपना पूरा डाक पता, मोबाइल नंबर और ई-मेल पता भी अंकित करें। संक्षिप्त जीवन-परिचय और फोटो भी भेजें।

संपादक

डॉ.पी.लता

शोध सरोवर पत्रिका

केरल विश्वविद्यालय से अनुमोदित पत्रिका

मूल्य : एक प्रति रु. 100/-
वार्षिक शुल्क रु.400/-

सहकर्मी पुनरवलोकन समिति

(पीयर रिव्यू कमिटी):

डॉ.टी.के.नारायण पिल्लै

डॉ.शांति नायर

डॉ.के.श्रीलता

पत्रिका के संबंध में अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें - डॉ.पी.लता (संपादक, शोध सरोवर पत्रिका; मंत्री, अखिल भारतीय हिन्दी अकादमी), आरती, टी.सी. 14/1592, फोरस्ट ऑफिस लेन, ई-28, वषुतक्काटु, तिरुवनन्तपुरम - 695 014, केरल राज्य।

फोन : 0471 - 2332468, 9946253648, 994667980

ई-मेल : akhilbharatheeyhindiacademy@gmail.com

वेबसाइट : www.shodhsarovarpathrika.co.in

‘राजभाषा’ सरकारी कामकाज की भाषा है। 14 सितंबर, 1949 को हिन्दी संघ की ‘राजभाषा’ के पद पर प्रतिष्ठित हुई। भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 में लिखा गया है कि ‘संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी’। यहाँ ‘संघ की राजभाषा’ से तात्पर्य संघ के प्रशासनिक कार्यों के लिए प्रयुक्त भाषा से है।

14 सितंबर, 1949 को हिन्दी भारत की राजभाषा स्वीकृत हुई, अतः प्रतिवर्ष 14 सितंबर ‘हिन्दी दिवस’ के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ, अतः 26 जनवरी भारत का ‘गणतंत्र दिवस’ है। 26 जनवरी 1950 से हिन्दी को संघ की राजभाषा के पद पर संवैधानिक मान्यता मिली।

भारतीय संविधान के भाग 5, भाग 6 तथा भाग 17 में क्रमशः अनुच्छेद 120, 210 तथा 343 से 351 तक (कुल 11 अनुच्छेदों में) ‘राजभाषा’ के बारे में कहा गया है। भाग 5 के अनुच्छेद 120 में ‘संसद में प्रयुक्त होनेवाली भाषा’ का निर्देश है, भाग 6 के अनुच्छेद 210 में विधान मंडलों में प्रयुक्त भाषा का निर्देश है तथा भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक संघ की राजभाषा के संबन्ध में है। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा, लिपि तथा अंक के बारे में कहा गया है। यह भी कहा गया है कि ‘किसी बात के होते हुए भी संविधान के प्रारंभ होने से 15 वर्ष की कालावधि के लिए (26 जनवरी 1965 तक) संघ के उन सब राजकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेज़ी भाषा का प्रयोग किया जायेगा, जिनके लिए ऐसे प्रारंभ के ठीक पहले

वह प्रयोग की जाती थी।’ अनुच्छेद 349 भी संविधान के लागू होने के पन्द्रह वर्षों तक अंग्रेज़ी का भी प्रयोग बनाये रखने के संबन्ध में है।

संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक तथा परिशिष्ट में दी गयी ‘अष्टम अनुसूची’ ‘मुंशी आर्यंगार फॉर्मूला’ नाम से विख्यात है। आर्यंगारजी ने संविधान की ‘अष्टम अनुसूची’ में हिन्दी भाषा के विकास के लिए तथा राष्ट्रीय भाषाओं के रूप में मानने योग्य 14 भाषाओं की सूची दी थी। कालांतर में और 8 भाषाएँ जोड़ी गयीं। अब संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाएँ कुल 22 हैं, जो इस प्रकार हैं - असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, बंगला, मराठी, मलयालम, संस्कृत, सिन्धी, हिन्दी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, मैथिली, डोगरी, बोड़ो और संथाली। ‘अष्टम अनुसूची’ परिशिष्ट में दी गयी है। श्री फ्रेंक एन्थेनी ने ‘अष्टम अनुसूची’ में अंग्रेज़ी को सम्मिलित करने के लिए संसद में एक बिल रखा था, जो गरमागरम चर्चा के बाद पारित नहीं हुआ।

संविधान के लागू होने के पन्द्रह वर्षों के बाद सरकार का सारा कामकाज हिन्दी में शुरू होना चाहिए था। किन्तु इसके लिए हिन्दी को सक्षम बनाने में केन्द्र सरकार द्वारा उठाये गये कदमों में शिथिलता बरते जाने के कारण यह संभव नहीं हो सका। इस स्थिति में सरकार को एक मध्यम मार्ग अपनाना पड़ा। तत्कालीन गृहमंत्री लालबहादुर शास्त्री ने 13 अप्रैल 1963 को एक ‘राजभाषा विधेयक’ प्रस्तुत किया, जिसका उद्देश्य 15 वर्ष की अवधि के बाद भी संघ के सभी सरकारी प्रयोजनों के लिए अंग्रेज़ी का प्रयोग बनाया रखना था।

यह 'विधेयक 25 अप्रैल 1963 को पारित हुआ, जो राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर 'राजभाषा अधिनियम 1963' कहलाया गया। इस अधिनियम के मुख्य उपबन्धों के अनुसार संसद तथा राज्यों की विधान सभाओं की सारी कार्यवाहियाँ क्रमशः हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओं में होंगी। सन् 1965 के बाद किसी भी राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति की अनुमति से अंग्रेज़ी के साथ-साथ हिन्दी अथवा राज्य की किसी अन्य भाषा को 'राजभाषा' के रूप में मान्यता दे सकते हैं।

'राजभाषा अधिनियम, 1963' के बाद 16 दिसंबर 1967 को एक विधेयक पारित हुआ, जिसे 8 जनवरी 1968 को राष्ट्रपति ने अनुमति दी जो 'राजभाषा (संशोधन) अधिनियम 1967' कहलाया गया। इसके अनुसार सरकारी कामकाज में अंग्रेज़ी को उस समय तक सह राजभाषा का स्थान मिलता रहेगा जब तक कि अहिन्दी भाषी राज्य हिन्दी को एकमात्र राजभाषा बनाने के लिए सहमत नहीं हो जाते। इसमें केन्द्र सरकार के पत्राचार में द्विभाषा नीति अपनाने की बात भी कही गयी है।

'राजभाषा अधिनियम, 1963' की धारा 3 उपधारा 8 में संघ की राजभाषा के रूप में हिन्दी का प्रचार-प्रसार बढ़ाने के उद्देश्य से आवश्यक योजनाएँ बनाने और तदनुसार नियम ज़ारी करने का अधिकार केन्द्र सरकार को दिया गया है। इसके अनुसार संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए बनाये गये नियम 28 जून 1976 को ज़ारी किये गये। ये नियम 'राजभाषा नियम, 1976' कहे जाते हैं। इसमें हिन्दी भाषी स्थान 'क क्षेत्र', राज्य भाषाओं को मुख्य राजभाषा तथा हिन्दी को सहराजभाषा के रूप में स्वीकृत स्थान 'ख क्षेत्र' तथा संघ सरकार के अधीनस्थ अन्य स्थान 'ग क्षेत्र' माने गये हैं। इन तीनों क्षेत्रों-क, ख और ग - में पत्राचार के लिए प्रयुक्त भाषाओं के नियम हैं 'राजभाषा नियम,

1976'।

'क' क्षेत्र - बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप संघ राज्यक्षेत्र, उत्तरांचल, झारखंड और छत्तीसगढ़।
'ख' क्षेत्र - गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब का कुछ भाग और चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र।

'ग' क्षेत्र (हिन्दीतर क्षेत्र) - असम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोराम, उड़ीसा, सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, आन्ध्रप्रदेश, तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप।

इस नियम के अनुसार केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से 'ग क्षेत्र' के किसी कार्यालय या व्यक्ति को पत्रादि सामान्यतया अंग्रेज़ी में भेजे जायेंगे। केन्द्रीय सरकार के 'ख' तथा 'ग' क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों के बीच पत्रादि हिन्दी अथवा अंग्रेज़ी में हो सकते हैं।

'ग क्षेत्र' के सरकारी कार्यालयों के अधिकांश कर्मचारी हिन्दी भाषी नहीं हैं। वे चाहे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी हों या राज्य सरकार के, अंग्रेज़ी में तथा राज्यभाषा में कामकाज करने की छूट का लाभ उठाकर हिन्दी को छोड़ देते हैं। यही नहीं, प्रत्येक कार्यक्षेत्र में प्रयुक्त 'हिन्दी पारिभाषिक शब्दावली' भी उन्हें कठिन मालूम होगी। पारिभाषिक शब्द निरंतर प्रयोग मात्र से सरल मालूम होंगे।

'राजभाषा' पर विचार करत वक्त यह भी स्मरण में रखना चाहिए कि राजभाषा हिन्दी की प्रगति के लिए 'गृह मंत्रालय' का अधीनस्थ 'राजभाषा विभाग' बड़ी कर्मठता तथा निष्ठा के साथ कार्य कर रहा है।

◆ संपादक

डॉ.पी.लता

मंत्री, अखिल भारतीय हिन्दी अकादमी

हिंदी में कोश साहित्य

◆ डॉ.बिन्दु.सी.आर



हिन्दी भाषा का इतिहास एक हजार वर्ष पुराना है। भारत की सबसे प्राचीन भाषा के रूप में संस्कृत को मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि भारत में प्रचलित

कई भाषाओं की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। हिन्दी' संस्कृत की उत्तराधिकारिणी या पुत्री मानी जाती है। भारत के अधिकांश लोग हिन्दी बोलते-समझते हैं। इसप्रकार हिन्दी भारत की संपर्क भाषा बनी। स्वतंत्रता-संग्राम के सिलसिले में भारत देश के लोगों के आपसी संबन्ध की सुविधा के लिए हिन्दी भारत की राष्ट्रभाषा मानी गयी। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो संविधान द्वारा हिन्दी भारत की 'राजभाषा' चुन ली गयी। यद्यपि संविधान में लिखित भारत की राजभाषा 'हिन्दी' है तो भी हिन्दीतर क्षेत्रों में अधिकार जमाने में हिन्दी असफल रही है।

स्वतंत्र भारत की 'राजभाषा' के रूप में 'हिन्दी' स्वीकृत हो जाने पर विविध क्षेत्रों में हिन्दी में कार्य करना शुरू हुआ। अंग्रेज़ी से हिन्दी में अनुवाद की आवश्यकता भी शुरू हुई। कर्मचारियों की शिक्षा, प्रशिक्षण आदि का माध्यम अंग्रेज़ी होने के कारण हिन्दी में कामकाज करना उनके लिए कठिन कार्य था। केन्द्र सरकार के कार्यालयों को अनुवाद का आश्रय लेना पड़ा, क्योंकि उसके पहले केवल अंग्रेज़ी में सरकारी कामकाज चलता रहता था। सभी अंग्रेज़ी शब्दों और भाषीय

शैलियों के लिए हिन्दी में उचित शब्द तथा शैली ढूँढ़ निकालने की आवश्यकता पड़ी। जब इस प्रकार अनुवाद कार्य अनिवार्य हुआ तो पहले सरकारी तौर पर और बाद में गैर सरकारी व्यक्तियों तथा संस्थाओं द्वारा पारिभाषिक शब्दों में भी कोश-निर्माण-कार्य शुरू हुआ। भाषा एवं साहित्य को सफल बनाने के लिए 'कोश-निर्माण' पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता भी आ गयी। आगे बढ़कर जिज्ञासु अध्येताओं के लिए केवल शब्दार्थ तक की जानकारी पर्याप्त नहीं हो गयी। इसलिए 'कोश-निर्माण' का क्षेत्र भी विस्तृत हो गया। कई प्रकार के कोश-ग्रन्थ प्रकाशित होने लगे।

भाषा के दो प्रामाणिक ग्रन्थ हैं 'कोश और व्याकरण'। 'व्याकरण' भाषा की शुद्धता पर बल देता है, जबकि 'कोश' एक भाषा के शब्द और उनके अर्थ वर्णानुक्रम में दिये जाते हैं। इस प्रकार 'व्याकरण ग्रन्थ' भाषा के वर्ण, शब्द एवं वाक्य की बनावट और प्रयोग के नियमों के बारे में विचार प्रकट करता है तो 'कोश-ग्रन्थ' भाषा के प्रत्येक शब्दों के अर्थ, वर्तनी, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द आदि का परिचय देता है।

एक भाषा की समृद्धि में उस भाषा में विरचित कोश-ग्रन्थों का स्थान भी मुख्य है। इस सन्दर्भ में हिन्दी भाषा में उद्भव काल से लेकर वर्तमान काल तक रचित कोश-ग्रन्थों के बारे में भी विचार करना होगा।

आलोचकों ने हिन्दी साहित्य के इतिहास को भाषा की विशेषता एवं साहित्यिक प्रवृत्तियों के अनुसार काल विभाजन किया है। उसी प्रकार प्रत्येक समय पर विरचित कोश-ग्रन्थों की विशेषताओं के अनुसार कोश-साहित्य का भी काल-विभाजन किया गया है, जैसे- आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल।

आदिकाल :- प्रस्तुत काल में लिखित सामग्री की अपेक्षा मौखिक सामग्री को अधिक प्राधान्य मिला था। इसलिए इस काल में कोश-ग्रन्थों की संख्या कम है। आदिकाल के कवि अमीर खुसरो ने 'खालिकबारी' नाम से एक फारसी हिन्दी कोश लिखा। इसका रचनाकाल 1255-1324 के बीच का समय माना जाता है। पर इसे हिन्दी का प्रथम कोश ग्रन्थ मानने में विद्वानों में मतभेद हैं। 1320 में और एक कोश-ग्रन्थ का निर्माण हुआ, वह है मैथिली में ज्योतिशेखर ठाकुर द्वारा कृत 'वर्ण रत्नाकर।' इनके अलावा इस काल में कोश-रचना-कार्य बहुत कम हुआ है।

मध्यकालीन कोश साहित्य :- साहित्यिक दृष्टि से प्रस्तुत समय में भक्तिकालीन एवं रीतिकालीन रचना-कार्य चल रहा था। इस काल में अनेक छोटे-बड़े कोश-ग्रन्थ बने। पर इनमें कई आज अनुपलब्ध हैं। हरिराज कवि द्वारा कृत 'डिंगल नाममाला' इस काल का सबसे पहला कोश-ग्रन्थ है। नन्ददास द्वारा विरचित 'अनेकार्थ' और 'नाममाला' ये दोनों 'दोहा कोश ग्रन्थ' हैं। स्वामी गरीबदास द्वारा विरचित और एक कोश ग्रन्थ है 'अनभै प्रबोध'। मियाँनूर द्वारा विरचित 'प्रकाश नाममाला' अमरकोश से प्रभावित है। इनके अलावा हमीर दानरतन् द्वारा कृत 'हमीर

नाममाला', भिखारी दास द्वारा कृत 'नाम प्रकाश', हरिचरण दास द्वारा कृत 'कर्णाभरण', श्री कुंअर कुशल सूरी द्वारा कृत 'पारसी पारसात नाममाला' आदि इस काल के प्रमुख कोश-ग्रन्थ हैं। इनके अलावा अन्य अनेक कोश-ग्रन्थ भी इस काल में निकले हैं। इस प्रकार 'हिन्दी कोश साहित्य' की विकास-यात्रा में मध्यकाल का योगदान गौण नहीं है।

आधुनिक काल :- कोश-निर्माण परंपरा का आधुनिक काल हिन्दी भाषा के संबन्ध में पुनरुत्थान काल था। स्वतंत्रता पूर्व भारत की भाषा संबन्धी समस्याएँ इस काल की रचनाओं में प्रतिबिंबित होती हैं। अंग्रेज़ शासकों ने सुचारु रूप से शासन करने के लिए कोश-निर्माण शुरू किया। इस काल में दो शब्द-कोश निकले हैं, जिनकी लिपि रोमन थी। इनमें एक हिन्दुस्तानी-अंग्रेज़ी का था और दूसरा अंग्रेज़ी-हिन्दुस्तानी का। इसी प्रकार 1790 में श्रीयुत हेनरी हेरिस के प्रयत्न से एक कोश मद्रास में छपा था। 1808 में कलकत्ते में एक 'हिन्दुस्तानी-अंग्रेज़ी कोश' का प्रकाशन हुआ, जिसके संपादक थे जोसफ टेलर और विलियम हेटर।

देवनागरी लिपि में कृत पहले कोश-ग्रन्थ के बारे में मतभेद हैं। बाबू श्याम सुन्दरदास ने देवनागरी लिपि में प्रकाशित सबसे पहला कोश-ग्रन्थ पादरी एम.टी.एड्म कृत 'हिन्दी कोश' को माना है। लेकिन कोश-विज्ञान के विशेषज्ञ पंडित श्री रामचन्द्र वर्मा के मत में 1873 में मुद्रित राधालाल कृत शब्द कोश ही पहला कोश ग्रन्थ है। 'नालन्दा विशाल शब्द सागर'¹ में 1892 में प्रकाशित बाबा बैजूदास के 'विवेक कोश' नामक कोश को पहला माना जाता

है। इस प्रकार हिन्दी में प्रकाशित पहले कोश-ग्रन्थ के बारे में भिन्न मत चलते हैं। लेकिन अधिकांश विद्वानों द्वारा पादरी एम.टी.आदम द्वारा संकलित 'हिन्दी कोश' को पहला कोश माना जाता है। इस प्रकार सन 1829 से लेकर सन् 1906 तक के समय के अन्दर बहुत अधिक कोश ग्रन्थ निकले हैं।

हिन्दी कोश साहित्य की विकसित परंपरा में आते वक्त अनेक भाषा कोश निकले हैं, जिनमें प्रथम स्थान 'काशी नागरी प्रचारिणी सभा' द्वारा संकलित 'हिन्दी शब्द सागर'² को देना ही उचित है। इसके निर्माण की योजना सन् 1907 में बनी थी। बीस वर्ष के बाद संकलन कार्य पूर्ण हुआ। संपादन कार्य बाबू श्याम सुन्दर दास ने अन्य सह संपादकों की सहायता से किया था। इसके बाद कलिका प्रसाद श्रीवास्तव के संपादन में 'बृहद् हिन्दी कोश'³ निकला। सन् 1949 में रामचन्द्र वर्मा द्वारा संकलित 'प्रमाणिक हिन्दी कोश' पाँच खण्डों में प्रकाशित हुआ। आपके संकलन में और एक कोश ग्रन्थ भी निकला - 'मानक हिन्दी कोश'।⁴ इस प्रकार आधुनिक काल के प्रारंभ में उपर्युक्त प्रमुख कोश-ग्रन्थों के अलावा अन्य अनेक छोटे-मोटे कोश ग्रन्थ भी निकले हैं।

बाद में कोश-रचना का क्षेत्र विस्तृत हो गया। केवल शब्दार्थों की जानकारी तक ये सीमित नहीं रहे। क्योंकि हिन्दी भाषा का प्रयोग क्षेत्र-बोलचाल या साहित्यिक सीमाओं से हटकर अन्य कई क्षेत्रों जैसे-राजनैतिक, प्रशासनिक, वैज्ञानिक, दार्शनिक, पत्रकारिता, बैंकिंग आदि में फैलने लगा। विविध प्रयोजनमूलक सन्दर्भों में प्रयुक्त अंग्रेज़ी शब्दों के स्थान पर हिन्दी में पर्यायवाची शब्द ढूँढ़ निकालने

का कार्य शुरू हुआ। इस प्रकार विविध कोश ग्रन्थों की भी रचना हुई। भाषा पंडित श्री कैलाशचन्द्र भाटिया ने हिन्दी भाषा के कार्यालयीन और व्यावहारिक उपयोगिता को सामने रखकर 'अंग्रेज़ी-हिन्दी अभिव्यक्ति कोश'⁵ - का संपादन किया है। इसमें प्रशासन, बैंकिंग, कृषि, व्यापार आदि सभी क्षेत्रों में प्रयुक्त शब्द उपलब्ध हैं। बाद में 'वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग' द्वारा 'बृहद् पारिभाषिक शब्द-संग्रह'⁶ का संपादन हुआ। इस समय में अन्य अनेक पारिभाषिक शब्दावलियों का भी प्रकाशन-कार्य संपन्न हुआ था, जैसे :- 'बहुभाषी संविधान शब्दावली'⁷, भोलानाथ तिवारी और महेन्द्र चतुर्वेदी और ओमप्रकाश गाबा द्वारा संकलित 'व्यावहारिक हिन्दी कोश'⁸ आदि।

व्यापार के क्षेत्र में हैं - भारत सरकार द्वारा दो खण्डों में प्रकाशित 'वाणिज्य शब्दावली'⁹, 'वाणिज्य परिभाषा कोश'¹⁰ आदि। विज्ञान के क्षेत्र में हैं श्री दुष्यन्त कारक द्वारा संकलित 'शोध विज्ञान कोश'¹¹, डॉ. सत्य प्रकाश द्वारा संकलित 'भौतिक विज्ञान कोश'¹², ब्रज किशोर मालवीय द्वारा संकलित 'रसायन शास्त्र, 'जीव रसायन कोश'¹³, महेश्वर सिंह सूद द्वारा संकलित 'अंग्रेज़ी-हिन्दी जीव विज्ञान कोश'¹⁴, भोलानाथ तिवारी द्वारा संकलित 'भाषा विज्ञान कोश'¹⁵ आदि।

शब्दों की व्युत्पत्ति संबन्धी जानकारी देनेवाले 'व्युत्पत्ति कोशों' में डॉ.नरेशकुमार द्वारा संपादित 'हिन्दी-व्युत्पत्ति कोश'¹⁶, श्री अभयकुमार द्वारा संपादित 'कुमाऊनी-हिन्दी व्युत्पत्ति कोश'¹⁷ आदि प्रमुख हैं।

भाषा में प्रयुक्त सभी शब्दों के सही उच्चारण संबन्धी बातें मिलनेवाले 'उच्चारण कोश' भी हिन्दी

में उपलब्ध हैं। श्री भोलानाथ तिवारी द्वारा संकलित 'हिन्दी उच्चारण कोश'¹⁸ इस क्षेत्र की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है।

भाषा प्रयोग को अधिका प्रभावशाली बनाने के लिए उपयुक्त लोकोक्ति-मुहावरा कोशों का संकलन कार्य भी हिन्दी में संपन्न है। श्री शोभाराम शर्मा द्वारा संकलित 'मानक हिन्दी मुहावरा कोश'¹⁹, प्रतिभा अग्रवाल द्वारा संकलित 'बृहत् मुहावरा कोश'²⁰, भोलानाथ तिवारी द्वारा संकलित 'बृहत् हिन्दी मुहावरा कोश'²¹ आदि के नाम गणनीय हैं। इनमें हिन्दी मूल भाषा एवं लक्ष्य भाषा है। इनके अलावा अंग्रेज़ी को मूल भाषा बनाकर संकलित कई 'लोकोक्ति मुहावरा कोश' भी हिन्दी में उपलब्ध हैं। केरल में एक त्रिभाषा लोकोक्ति कोश प्रकाशित हुआ है। नाम है 'त्रिभाषा पषञ्चोल निघण्टु' (मलयालम-अंग्रेज़ी-हिन्दी)। यह 'केरल स्टेट भाषा इंस्टिट्यूट' का प्रकाशन है। डॉ.पी.लता द्वारा संपादित इसमें हिन्दी, मलयालम और अंग्रेज़ी भाषाओं में प्रयुक्त समान लोकोक्तियों का परिचय मिलता है।

पर्यायवाची शब्दों एवं विपर्यायों का परिचय देनेवाले 'थेसारस' भी हिन्दी भाषा में उपलब्ध हैं। जैसे :- गोपिनाथ श्रीवास्तव द्वारा संकलित 'राजपाल हिन्दी-अंग्रेज़ी थेसारस'²²

'भाषा कोश' के समान 'बोली कोश' भी निकले हैं। उदाहरण के रूप में रामाज्ञा द्विवेदी द्वारा संपादित अवधी कोश²³, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा संपादित 'हिन्दी-उर्दू कोश',²⁴ जयकान्त मिश्र द्वारा संपादित 'बृहत् मैथिली शब्द कोश'²⁵ इस क्षेत्र में गणनीय हैं।

साथ ही प्रत्येक विषय के अध्येताओं को सहायक 'सन्दर्भ ग्रन्थ'²⁶- भी उपलब्ध हैं। हिन्दी में विभिन्न प्रकार के 'सन्दर्भ ग्रन्थ कोश' निकले हैं। जैसे- 'संस्कृति कोश', 'साहित्य कोश', 'ऐतिहासिक कोश', 'पौराणिक कोश', 'विश्वकोश', 'व्यक्ति कोश', 'पुरस्कार कोश' आदि।

संस्कृति कोश के अन्दर लीलाधर शर्मा पर्वतीय द्वारा संपादित 'भारतीय संस्कृति कोश'²⁷ प्रमुख है। प्रस्तुत कोश में पौराणिक, नागरिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जगत् से संबन्धित विविध पहलुओं को संकलित किया गया है।

साहित्य कोशों के अन्दर विविध साहित्यिक विधाओं से संबन्धित साहित्य कोश, प्रत्येक साहित्यकार की रचनाओं से संबन्धित साहित्य कोश आदि हिन्दी में उपलब्ध हैं।

जैसे:- सुधाकर पांडेय द्वारा संकलित 'हिन्दी विश्व साहित्य कोश'²⁸, डॉ.नरेन्द्र द्वारा संपादित, 'भारतीय साहित्य कोश'²⁹, सुधाकर पांडेय द्वारा संकलित - 'प्रसाद काव्य कोश'³⁰, डॉ. विजयपाल सिंह द्वारा संपादित 'केशव कोश'³¹, श्री महेश दर्पण द्वारा संपादित 'स्वानंग्योलर हिन्दी कहानी कोश'³², यशपाल महाजन द्वारा संपादित 'हिन्दी आलोचना कोश'³³, 'हिन्दी उपन्यास कोश'³⁴ आदि।

हिन्दी में 'धार्मिक कोश' भी उपलब्ध हैं, जिनमें धर्म संबन्धी बातों का अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है। जैसे-राजबली पाण्डेय द्वारा संपादित 'हिन्दु धर्मकोश'³⁵, रामदास गौड़ द्वारा संपादित 'हिन्दुत्व धर्म कोश'³⁶ आदि।

'पौराणिक कोश' में पौराणिक संदर्भों, पात्रों

तथा स्थानों की जानकारी मिलती है। उदा :- डॉ.एन.पी.कुट्टनपिल्लै द्वारा संकलित पौराणिक संदर्भ कोश।³⁷

हिन्दी भाषा क्षेत्र 'विश्वकोशों' के प्रकाशन से भी संपन्न है। हिन्दी में मौलिक तथा प्रामाणिक विश्वकोश के प्रकाशन की योजना 'नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणासी' द्वारा की गयी है। प्रस्तुत हिन्दी विश्वकोश बारह खण्डों में प्रकाशित हैं। हिन्दी भाषा क्षेत्र भी विश्वकोश के प्रकाशन से संपन्न है।

इसके अलावा 'पर्यावरण विश्वकोश'³⁸, 'आयुर्वेदीय विश्वकोश'³⁹, हिन्दी भाषा एवं साहित्य विश्वकोश आदि अनेक विश्व कोश-ग्रन्थ निकले हैं।

विश्व के महान व्यक्तियों के संबन्ध में अकारादि क्रम से क्रमबद्ध जानकारी देनेवाले 'व्यक्ति कोश' भी हिन्दी भाषा में उपलब्ध है। जैसे - विश्वामित्र शर्मा द्वारा संकलित - अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्ति कोश।

भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, चिकित्सा, अर्थशास्त्र, साहित्य, शान्ति आदि क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार विजेताओं के सचित्र परिचय देनेवाले 'नोबेल पुरस्कार कोश' भी हिन्दी में उपलब्ध हैं।

हिन्दी भाषा में आधुनिक काल की उपलब्धि के रूप में 'तुकान्त शब्द कोश' भी निकला है। इसका संपादन कार्य परमानन्द चतुर्वेदी ने किया है। इसमें 'तुक' से अन्त होनेवाले शब्दों का संकलन हुआ है। इस क्षेत्र का और एक प्रयास है 'हिन्दी तुकांत कोश'। विविध कार्यक्षेत्रों से जुड़े 'क क्षेत्र' और 'ख क्षेत्र' के केन्द्र सरकार के कार्यालयों में हिन्दी में कामकाज के लिए पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है।

पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण के क्षेत्र में 'वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग' के विविध विषयक पारिभाषिक शब्द कोशों के निर्माण का कार्य सराहनीय है।

इस प्रकार हिन्दी भाषा में कोश-साहित्य क्षेत्र बहुत विस्तृत है। मैंने यहाँ विविध विषयों पर प्रकाशित कुछ कोश ग्रन्थों का परिचय देने की कोशिश की है। सभी क्षेत्रों में 'कोश-निर्माण-कार्य' प्रगति के पथ पर हैं। छात्रों को, शोधार्थियों को या कर्मचारियों को सहायता देनेवाले महत्वपूर्ण कोश ग्रन्थ आज हिन्दी भाषा में भी उपलब्ध हैं। आशा करती हूँ कि आगे भी इस क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण प्रयास निकलेंगे। परिवर्तनशील एवं विकासशील भाषा के शब्दों-अभिव्यक्तियों को सुरक्षित रखने में व्याकरण ग्रंथों तथा कोश ग्रंथों का महत्वपूर्ण स्थान है।

संदर्भ :

1. नालन्दा विशाल शब्द सागर - आदर्श बुक डिपो, दिल्ली।
2. हिन्दी शब्द सागर - श्याम सुन्दर दास, नागरी प्रचारिणी सभा।
3. बृहद् हिन्दी कोश - कालिका प्रसाद, ज्ञानमण्डल लि. वाराणासी।
4. मानक हिन्दी कोश (पाँच खण्डों में) - रामचन्द्र वर्मा विश्वविद्यालय प्रकाशन।
5. अंग्रेज़ी हिन्दी अभिव्यक्ति कोश - कैलाशचन्द्र भाटिया (प्रभात प्रकाशन)
6. बृहत् पारिभाषिक शब्द संग्रह - (मानविकी खंड-2), प्रकाशक- वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग

7. बहुभाषी संविधान शब्दावली - राजभाषा खंड, विधार्थ विभाग, भारत सरकार।
8. व्यावहारिक हिन्दी कोश - भोलानाथ तिवारी, महेन्द्र चतुर्वेदी, ओमप्रकाश गाबा) नेशनल।
9. वाणिज्य शब्दावली (भाग 1& 2) - भारत सरकार का प्रकाशन।
10. वाणिज्य परिभाषा कोश - भारत सरकार, नई दिल्ली।
11. शोध विज्ञान कोश - दुष्यन्त कारक संत, वाणी प्रकाशन
12. भौतिक विज्ञान कोश - डॉ.सत्यप्रकाश, प्रयाग
13. रसायन शास्त्र, जीव रसायन कोश ब्रज किशोर-मालवीय, प्रयाग।
14. अंग्रेज़ी-हिन्दी जीव विज्ञान कोश - महेश्वर सिंह सूद प्रभात प्रकाशन।
15. भाषा विज्ञान कोश - भोलानाथ तिवारी, विश्वविद्यालय प्रकाशन।
16. हिन्दी व्युत्पत्ति कोश - सं-नरे शकुमार, इन्टोविज्ञान प्रा.लि. उत्तर प्रदेश
17. कुमाँऊनी - हिन्दी व्युत्पत्ति कोश- संपादक - अभयकुमार, ग्रन्थायन, अलीगढ़।
18. हिन्दी उच्चारण कोश - भोलानाथ तिवारी, वाणी प्रकाशन।
19. मानक हिन्दी मुहावरा कोश (भाग 1& 2)- डॉ.शोभाराम शर्मा, तक्षशिला प्रकाशन।
20. बृहत् मुहावरा कोश - सं.प्रतिभा अग्रवाल, हिन्दी संस्थान, लखनऊ।
21. बृहत् हिन्दी मुहावरा कोश - डॉ.भोलानाथ तिवारी, समृद्धि प्रकाशन
22. राजपाल हिन्दी - अंग्रेज़ी थेसारस - गोपीनाथ श्रीवास्तव।
23. अवधी कोश - राजाज्ञा द्विवेदी - हिन्दी एकेदमी, इलाहाबाद।
24. हिन्दी उर्दु कोश -केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय।
25. बृहत् मैथिली शब्द कोश- जयकान्त मिश्र, इ.ई.ए.शिमला
26. सन्दर्भ ग्रन्थ-Reference Book
27. भारतीय संस्कृति कोश -लीलाधर शर्मा पर्वतीय, राजपाल एण्ड सन्स।
28. हिन्दी विश्वसाहित्य साहित्य कोश (खण्डों 25 में)-सुधाकर पाण्डेय, नागरी प्रचारिणी सभा।
29. भारतीय साहित्य कोश- डॉ.नरेन्द्र, नेशनल पब्लिशिंग हाउस।
30. प्रसाद काव्य कोश - सुधाकर पाण्डेय- प्र.हिन्दी प्रचारक संस्थान।
31. केशव कोश - डॉ.विजयपाल सिंह- भारतीय ग्रन्थ निकेतन, दिल्ली।
32. स्वातंत्रयोत्तर हिन्दी कहानी कोश - महे श दर्पण, सच्चिन प्रकाशन, नई दिल्ली।
33. हिन्दी आलोचना कोश - यशपाल महाजन, भारतीय ग्रन्थ निकेतन, नई दिल्ली।
34. हिन्दी उपन्यास कोश - यशपाल महाजन - भारतीय ग्रन्थ निकेतन, नई दिल्ली।
35. हिन्दु धर्म कोश - राजबली पाण्डेय, विश्वविद्यालय प्रकाशन।
36. हिन्दुत्व धर्म कोश- रामदास गौड़ - विश्वविद्यालय प्रकाशन
37. पौराणिक सन्दर्भ कोश - डॉ.एन.वी.कुट्टन पिल्लै, इलाहाबाद

(शेष पृ.सं. 25)

राजभाषा हिंदी में रोज़गार के अवसर



राजभाषा हिंदी

हिंदी हमारी राजभाषा है। हिंदी भाषा लगातार लोकप्रिय होती जा रही है। सोशल मीडिया से लेकर तमाम प्लेटफॉर्म पर हिंदी का बोलबाला है।

‘राजभाषा’ शासक या सरकार द्वारा प्राधिकृत भाषा अथवा संविधान द्वारा सरकारी कामकाज, प्रशासन, संसद और विधान मंडलो तथा कार्यकलापों के लिए स्वीकृत भाषा है।

भारतीय संविधान के भाग 5,6 और 17 में राजभाषा संबंधी उपबंध है। भाग 17 का शीर्षक राजभाषा है। इसमें चार अध्याय हैं, संघ की भाषा, प्रादेशिक भाषाएँ, उच्चतम न्यायालय की भाषा, उच्च न्यायालय की भाषा आदि। ये अध्याय भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 के अन्तर्गत समाहित हैं। इसके अलावा भाग 5 में अनुच्छेद 120 और भाग 6 में अनुच्छेद 210 में क्रमशः संसद और विधान मंडलों की भाषा के सम्बन्ध में विवरण है।

अनुच्छेद 343 (1) - संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अंक संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले भारतीय अंको का अन्तर्राष्ट्रीय रूप होगा।

अनुच्छेद 343 (2) - खण्ड (i) में किसी बात के होते हुए भी, संविधान के आरंभ से पन्द्रह वर्ष की अवधि तक संघ के उन प्रशासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेज़ी

♦ डॉ.लक्ष्मी.एस.एस

भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा, जिनके लिए उसका प्रयोग किया जा रहा था।

343 (3) - इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी संसद उक्त 15 वर्ष की अवधि के पश्चात विधि द्वारा अंग्रेज़ी भाषा या अंकों के देवनागरी रूप का ऐसे विधि में बताये जाएँ।

अनुच्छेद 344 (1) - राष्ट्रपति संविधान के प्रारम्भ से पाँच वर्ष की समाप्ति पर आदेश द्वारा एक आयोग का गठन करेगा। इसमें एक अध्यक्ष और आठवीं अनुसूची की भाषाओं के प्रतिनिधि होंगे।

अनुच्छेद 344(2) में 1) संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा के अधिकाधिक प्रयोग की सिफारिश है।

2) संघ के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेज़ी भाषा के प्रयोग पर निर्बंधनों की सिफारिश है।

3) अनुच्छेद 348 में उल्लिखित सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जानेवाली भाषा की सिफारिश है।

4) संघ के किसी एक या अधिक विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जानेवाले अंकों के रूप में सिफारिश है।

5) संघ और राज्य, राज्य या राज्य के बीच पत्रादि की भाषा की सिफारिश है।

अनुच्छेद 344 (3) - आयोग अनुच्छेद 344 (2) के अधीन अपनी सिफारिशें करते समय भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक प्रगति का लोक सेवाओं के

संबन्ध में अहिंदी भाषी क्षेत्रों के व्यक्तियों के न्यायसंगत दावों और हितों का सम्यक ध्यान रखेगा।

अनुच्छेद 344 (4) - राजभाषा संबंधी संसदीय समिति में कुल 30 सदस्य होंगे। बीस लोकसभा सदस्य और दस राज्यसभा सदस्य होंगे।

अनुच्छेद 344 (5) - समिति अनुच्छेद 344 (i) के अधीन आयोग की सिफारिशों की जांच करके उस पर अपनी राय राष्ट्रपति को देगी।

अनुच्छेद 344 (6) - उपरोक्त रिपोर्ट पर विचार कर राष्ट्रपति आदेश जारी करेंगे।

अनुच्छेद 345 किसी राज्य का विधानमंडल अनुच्छेद 346 और 347 के उपबंधों के अधीन रहते हुए विधि द्वारा उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जानेवाली भाषा या भाषाओं के रूप में अंगीकार कर सकेंगे।

अनुच्छेद 346 - एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच अथवा राज्य और संघ के बीच संचार के लिए राजभाषा।

अनुच्छेद 347 - किसी राज्य के जन समुदाय के किसी भाग द्वारा बोली जानेवाली भाषा के संबन्ध में विशेष उपबंध।

अनुच्छेद 348 उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा।

अनुच्छेद 349 इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि के दौरान अनुच्छेद 348 (1) में लिखित किसी प्रयोजन के लिए प्रयोग की जानेवाली भाषा के संबन्ध में कोई विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना संसद के किसी सदन में प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा।

अनुच्छेद 350 - शिकायतों को दूर करने के लिए दी

जानेवाली अर्जी में प्रयोग की जानेवाली भाषा।

राष्ट्रपति ने 7 जून 1955 को अनुच्छेद 344 (i) के अनुसरण में 'राजभाषा आयोग' के गठन का आदेश जारी किया। इसके अध्यक्ष बाल गंगाधर खेर थे तथा इसमें संविधान की 8 वीं अनुसूची में दर्ज विभिन्न भारतीय भाषाओं के बीस अन्य सदस्य थे। 1956 ई. में आयोग ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत कर दी।

अनुच्छेद 344 (4) और 344 (5) के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा समिति के गठन का आदेश 1956 ई. में जारी किया गया। पं. गोविंद बल्लभ पंत इस समिति के अध्यक्ष बनाए गए। 8 फरवरी 1959 ई. को रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी गयी।

हिंदी भाषा की अधिक लोकप्रियता और बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय महत्व के साथ-साथ, हिंदी भाषा के क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में भी जबरदस्त प्रगति हुई है। केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों (हिंदी भाषी राज्यों में) के विभिन्न विभागों में हिंदी भाषा में काम करना अनिवार्य है। अतः केंद्र / राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों में हिंदी अधिकारी, हिंदी अनुवादक, हिंदी सहायक प्रबंधक (राजभाषा) जैसे विभिन्न पदों की भरमार है। निजी टी वी और रेडियो चैनलों की शुरुआत और स्थापित पत्रिकाओं / समाचार पत्रों के हिंदी रूपान्तर आने से रोजगार के अवसरों में कई गुणा वृद्धि हुई है। हिंदी मीडिया के क्षेत्र में संपादकों, प्रूफ रीडरों, रेडियो जॉकी, एंकर्स आदि की बहुत आवश्यकता है। हिंदी भाषा में रोजगार के अवसर हम जानते हैं। हिंदी दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा बोली जानेवाली भाषा है। इस समय दुनिया भर में

हिंदी बोलनेवालों की संख्या 55 करोड़ से अधिक है। हिंदी समझ सकनेवाले लोगों की संख्या एक अरब से भी ज़्यादा है।

हिंदी सिनेमा, साहित्य-लेखन तथा अन्य कार्य क्षेत्रों में हिंदी में रोज़गार की अपार संभावनाएँ हैं। हिंदी को यदि हम अच्छी तरह से आत्मसात करेंगे तो निश्चित रूप से हमें अच्छा रोज़गार प्राप्त होगा।

‘अखिल भारतीय साहित्य परिषद’ के जिलाध्यक्ष डॉक्टर ओमप्रकाश शास्त्री ने कहा कि वर्तमान में नई पीढ़ी के विद्यार्थियों में साहित्य के पठन-पाठन के साथ साहित्य-सृजन में रुचि घटती जा रही है। इसके फलस्वरूप समाज में हिंदी भाषा कमज़ोर पड़ रही है। हमें स्नातक और स्नातकोत्तर के छात्रों में साहित्य-सृजन की भावना को प्रबल करना होगा। विश्वविद्यालयों एवं शासन को चाहिए कि साहित्य-सृजन को पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर हिंदी के विद्यार्थियों को साहित्य-सृजन की शिक्षा प्रदान करें।

प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, विविध मंच और संस्थाओं में हिंदी के प्रयोग में गुणात्मक वृद्धि हुई है। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब तथा व्हाट्सआप जैसे अनुप्रयोगों में तो अब हिंदी का ही दबदबा है। माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कम्पनियों में भी हिंदी में बहुत बड़े पैमाने पर काम करना शुरू कर दिया गया है।

हिंदी पत्रकारिता में रोज़गार

हिंदी का अध्ययन करनेवाले छात्रों के बीच पत्रकारिता रोज़गार का एक आकर्षक विकल्प है, जहाँ मेहनती और प्रतिभावान युवाओं के लिए बहुत, संभावनाएँ हैं। इस समय सबसे ज़्यादा पढ़े जानेवाले समाचार पत्रों और सबसे ज़्यादा देखे जानेवाले समाचार चैनलों में दो

तिहाई से अधिक हिंदी भाषा के ही हैं। समाचार चैनलों और अखबारों के अलावा भी हिंदी के अनेक चैनल और पत्र-पत्रिकाएँ हैं जो योग्य लोगों के स्वागत में तैयार खड़े हैं।

इस क्षेत्र में सफल होने के लिए आवश्यक है कि भाषा पर पकड़ बहुत अच्छी हो और आप अपनी बातों को सरलता और सहजता से अभिव्यक्त कर सकें, जिसमें हिंदी भाषा और साहित्य का अध्ययन विशेष लाभप्रद है। पत्रकारिता में आने की इच्छा रखनेवाले युवाओं को अपने आसपास घटित होनेवाली घटनाओं के प्रति सजग और संवेदनशील होना भी बहुत ज़रूरी होता है।

अध्यापन के क्षेत्र में हिंदी

हिंदी का अध्ययन करनेवालों के बीच अध्यापन एक पारंपरिक करियर विकल्प के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ उच्च शिक्षण संस्थानों से लेकर प्राथमिक स्तर तक शिक्षण के अवसर योग्यतानुसार उपलब्ध हो सकते हैं और इसे सुख अवसर माना जाता है। हिंदी विषय में परास्नातक करने के उपरान्त समय-समय पर आयोजित होनेवाली राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (NET) में सम्मिलित हुआ जा सकता है। इसमें अधिकतम अंक प्राप्त करनेवालों को जूनियर रिसर्च फेलोशिप प्रदान की जाती है, जिसके माध्यम से शोध कार्य (Ph.D) करनेवाले छात्रों को प्रतिमास छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, नेट परीक्षा उत्तीर्ण करनेवालों तथा पी.एच.डी उपाधि धारियों को महाविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति का अवसर भी मिलता है।

हिंदी विषय में परास्नातक छात्र केंद्रीय विद्यालयों और राज्यों के विद्यालयों में प्रवक्ता बन सकते हैं।

अनुवादक या दुभाषिया

अनुवाद का क्षेत्र बहुत बड़ा है। दुनिया भर में जैसे हिंदी का प्रयोग बढ़ रहा है वैसे अनुवादकों और भाषाविदों की माँग बढ़ती जा रही है। अनेक देशी-विदेशी मीडिया, राजनैतिक संस्थाएँ, पर्यटन से जुड़ी संस्थाएँ और बड़े-बड़े होटल आदि में अनुवादकों की अच्छी माँग है। युवाओं को चाहिए कि अपने अनुरूप अवसरों को तलाशकर इस क्षेत्र में अपना भविष्य सुरक्षित करें।

राजभाषा अधिकारी बनकर हिंदी की सेवा

केंद्रीय संस्थानों और कार्यालयों में राजभाषा अधिकारी की नियुक्ति की जाती है जो अपने यहाँ हर प्रकार से हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देते हैं और हिंदी कामकाज को सुगम बनाते हैं। यदि आप हिंदी विषय में परास्नातक हैं और स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में आपने अंग्रेज़ी, का भी अध्ययन किया है तो 'राजभाषा अधिकारी' के रूप में आप अपने करियर को पंख लगा सकते हैं। यहाँ आपको ऊँचे वेतनमान के साथ हिंदी भाषा के क्षेत्र में कार्य करने का अच्छा अवसर मिलता है।

रेडियो जॉकी और समाचार वाचक के रूप में शानदार करियर

यदि भाषा पर अच्छी पकड़ रखते हैं, आवाज़ अच्छी है और श्रोताओं का मनोरंजन करने की क्षमता है तो यह एक बेहतरीन करियर है। इसी से मिलता-जुलता काम समाचार वाचक का भी है, जिसमें आपको दर्शकों का मनोरंजन करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको अपनी प्रभावशाली आवाज़ में समाचार पढ़ना होता है और देश-विदेश की घटनाओं की जानकारी देनी होती है।

इससे संबंधित कोई प्रोफेशनल कोर्स कर लेने से काम मिलने में आसानी हो जाती है।

रचनात्मक लेखन

रचनात्मक लेखन के क्षेत्र में जानेवालों के पास दो विकल्प होते हैं। पहला है स्वतंत्र लेखन (freelancing) और दूसरा फिल्म, टी वी, रेडियो आदि संस्थानों में काम करते हुए लेखन। दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है। दोनों में आप काम एक ही करते हैं। कुछ लोग किसी संस्था के नियमों और शर्तों में बंधकर काम करना कम पसंद करते हैं। उनके लिए स्वतंत्र लेखन बेहतर विकल्प होता है। आप शुरुआत किसी संस्था से जुड़कर कर सकते हैं और अनुभव हो जाने के बाद नौकरी छोड़कर फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। इस माध्यम से आप घर बैठे काम करते हुए भी पैसे कमा सकते हैं। ब्लॉग लेखन भी शानदार उदाहरण है। आप अपनी पसंद के किसी विषय पर इसकी शुरुआत कर सकते हैं और धैर्य के साथ मेहनत और साथियों के परस्पर सहयोग से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अच्छी खबर, हैप्पी हिंदी आदि ऐसे ही कुछ ब्लॉग हैं जिन्होंने हिंदी ब्लॉगिंग को नया आयाम दिया है।

ट्रेवल एजेंट / टूरिस्ट गाइड

पर्यटन ने विश्व भर को बहुत ही आशास्पद व्यवसाय के तौर पर देखा है। इस व्यवसाय में हिंदी निष्णात भाइ-बहनों को देश-विदेश में टूरिस्ट गाइड के रूप में अपना करियर बना सकता है।

भारत सहित हिंदी भाषी देशों में कंपनियाँ मार्केटिंग हेड को वार्षिक लाखों रुपए का वेतन पैकेज दे रही हैं, जो हिंदी में बात करने और समझने में निष्णात हो। संक्षेप

(शेष पृ.सं. 18)

हिंदी में पारिभाषिक शब्द

♦ डॉ.षीना.यू.एस



प्रयोजनमूलक हिंदी का एक अभिन्न अंग है 'पारिभाषिक शब्द'।

पारिभाषिक शब्द अंग्रेज़ी के 'technical' शब्द का हिंदी रूपांतरण है। ग्रीक भाषा के टेकनिक्स (techniques) शब्द से अंग्रेज़ी में technical शब्द की व्युत्पत्ति हुई। पारिभाषिक शब्द को हिंदी में 'तकनीकी शब्द' भी कहते हैं।

सामान्य शब्द और पारिभाषिक शब्द

जिन शब्दों का प्रयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं वे सामान्य शब्द हैं। इन शब्दों के अर्थ विस्तार एवं अर्थ संकोच हो सकते हैं। बोलचाल की भाषा में सामान्य शब्दों का प्रयोग होता है।

जैसे :- कपड़ा, रोटी, मकान आदि।

जिन शब्दों का प्रयोग सामान्य संदर्भ से अलग किसी अन्य क्षेत्र विशेष के लिए किया जाता है उन्हें 'पारिभाषिक शब्द' कहते हैं। हर पारिभाषिक शब्द अपने एक विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है।

जैसे :- लेखाशास्त्र, वायुमंडल, शपथ पत्र

पारिभाषिक शब्दों की परिभाषा

विद्वानों ने पारिभाषिक शब्दों की परिभाषाएँ यों दी हैं- भाषा विद्वान डॉ.रघुवीर सिंह के शब्दों में "जिन शब्दों की सीमा बाँध दी जाती है वे पारिभाषिक शब्द होते हैं और जिनकी सीमा नहीं बाँधी जाती वे आम बोलचाल के शब्द हैं।" डॉ.नरेश मिश्र के शब्दों में "जिन शब्दों का प्रयोग विशेष ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में परिसीमित अर्थ में किया जाए वे पारिभाषिक शब्द होते हैं।"

पारिभाषिक शब्दों का महत्व

पारिभाषिक शब्द विशिष्ट अर्थवाले शब्द हैं। दैनिक व्यवहार के लिए पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। आज के वैज्ञानिक युग में पारिभाषिक शब्दावली का विशेष महत्व है। पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग भौतिकी, रसायन, प्राणिविज्ञान, दर्शन, गणित, इंजिनियरी, विधि, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, मानविकी, प्रौद्योगिकी आदि सभी क्षेत्रों में होता है।

पारिभाषिक शब्दों की व्युत्पत्ति

भारत में प्रशासनिक शब्दों के कोश बनाने का प्रयास शिवाजी के काल में शुरू हुआ। शिवाजी ने राजनीति की फारसी-संस्कृत शब्दावली बनाई थी। इस शब्दावली में लगभग 1500 शब्द थे। शिवाजी की प्रेरणा से रघुनाथ पंत ने सन् 1797 में 'राजकोश' तैयार किया। यह शब्दकोश शिवाजी के प्रशासन कार्य के लिए था।

काशी की 'नगरी प्रचारिणी सभा' ने सन् 1898 में 'हिन्दी साइंटिफिक ग्लोसरी' नामक पारिभाषिक शब्द-कोश का निर्माण कार्य शुरू किया था। इस शब्द-कोश की पूर्ति सन् 1901 में हुई।

सन् 1940 में 20th Century English-Hindi Dictionary का निर्माण हुआ। श्री, सुख संपत्ति राय भंडारी द्वारा यह निर्माण प्रक्रिया हुई थी।

14 सितंबर 1949 को हिंदी भारत की राजभाषा चुनी गयी। संवैधानिक कार्यों को सुगम बनाने तथा ज्ञान, विज्ञान, विधि, वाणिज्य जैसे क्षेत्रों में स्पष्ट एवं

पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए पारिभाषिक शब्दावली का होना अनिवार्य बन गया। फलस्वरूप सन् 1961 में 'वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग' द्वारा पारिभाषिक शब्दावली निर्माण का कार्य शुरू हुआ। फलस्वरूप 'बृहत्-शब्द कोश' का प्रकाशन हुआ।

पारिभाषिक शब्दों के निर्माण में संस्कृत की भूमिका :-

संस्कृत भाषा की धातुएँ पारिभाषिक शब्दों के निर्माण में सहायक बनती हैं। धातुओं के साथ उपसर्ग या प्रत्यय लगाकर पारिभाषिक शब्दों का निर्माण किया जा सकता है।

जैसे :- परिभ्रमण, तिकोना, अधिकरण आदि।

पारिभाषिक शब्द-निर्माण की पद्धतियाँ :-

विद्वानों के मतानुसार पारिभाषिक शब्द-निर्माण की चार पद्धतियाँ हैं। वे हैं -

1. ग्रहण पद्धति

ग्रहण पद्धति में विदेशी भाषा में प्रचलित पारिभाषिक शब्दों को ज्यों का त्यों ग्रहण करते हैं।

जैसे :- टेलिफोन (Telephone), कॉलेज (college), टिकट (ticket), कॉफी (coffee) आदि।

2. अनुकूलन पद्धति

अनुकूलन पद्धति में विदेशी भाषा में प्रयुक्त शब्दों को हिंदी भाषा की प्रकृति के अनुकूल बनाते हैं।

जैसे :- Report के लिए 'रपट', Academy के लिए 'अकादमी'।

3. संचयन पद्धति

भारतीय भाषाओं तथा उपभाषाओं के अछूते शब्दों से उपयोग करने योग्य शब्दों को चयन करके इन शब्दों

का प्रयोग करते हैं। जैसे :- मलयालम के 'दोशा', 'इडली' आदि शब्द ; बंगला का 'उपन्यास' शब्द।

4. निर्माण पद्धति

निर्माण पद्धति में धातु, उपसर्ग एवं प्रत्ययों से नए शब्दों का निर्माण होता है।

जैसे :- प्रवचन, फोसफेट, क्लोराइट आदि।

पारिभाषिक शब्द-निर्माण संबंधी विभिन्न मत:-

पारिभाषिक शब्द-निर्माण के संबंध में विद्वानों में मतभेद हैं, जो इस प्रकार हैं -

डॉ रघुवीर जैसे भाषा विद्वान पारिभाषिक शब्द-निर्माण के लिए संस्कृत की शब्दावली का प्रयोग करने के पक्षधर हैं। वे अंग्रेज़ी के पारिभाषिक शब्दों के हिंदी में समानांतर शब्द बनाते समय संस्कृत के उपसर्गों, प्रत्ययों एवं धातुओं का आश्रय लेने की बात कहते हैं। सांस्कृतनिष्ठ पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग करना वे चाहते थे।

विद्वानों का दूसरा वर्ग संस्कृत, अरबी, तुर्की, फारसी, तद्भव एवं देशज शब्दों को भी लेकर हिन्दी के लिए पारिभाषिक शब्दों का निर्माण करना चाहता था। पं.सुंदरलाल इन विद्वानों में प्रमुख हैं।

अंतर्राष्ट्रीय शब्दों को पारिभाषिक शब्दों के निर्माण के लिए लेने के पक्ष में थे डॉ.जे.सी.घोष, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, डॉ.शांति स्वरूप भटनागर, डॉ.बीरबल आदि।

विद्वानों का ऐसा एक वर्ग भी है जो उपर्युक्त तीनों वर्गों के मतों का समन्वय करके पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण करने के पक्षधर हैं। भारत सरकार के 'वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग' ने पारिभाषिक शब्दावलियों के निर्माण में इस मार्ग को

अपनाया है।

पारिभाषिक शब्द-निर्माण में 'वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग' का योगदान :-

1 अक्तूबर 1961 को वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना हुई। भारतीय भाषाओं के लिए पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण इस आयोग का उद्देश्य रहा था। विभिन्न भाषाओं तथा विषयों के लाखों शब्दों की मानक शब्दावलियों का प्रकाशन 'आयोग' द्वारा किया जा चुका है। विभिन्न शासकीय विभागों में प्रयोग की जानेवाली प्रशासनिक शब्दावली के निर्माण-कार्य में भी आयोग का सहयोग हुआ है। पारिभाषिक शब्दावली को लोकप्रिय बनाने तथा इसके प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए 'वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग' निरंतर कार्यशालाओं, संगोष्ठियों, सम्मेलनों तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन भी करता रहता है।

पारिभाषिक शब्दों के निर्माण की प्रक्रियाएँ :-

1. धातु में उपसर्ग या प्रत्यय लगाकर
जैसे :- अनगिनत, विश्वसनीय
2. दो धातुओं को मिलाकर
जैसे :- जाँच-उड़न (test fly)
3. सामासिक पद बनाकर
जैसे :- पाठ्यक्रम, सिर-दर्द
4. नामधातु से
टीका - टीकाकरण
कमाई - कमाना
5. यदृच्छा शब्दों का निर्माण
'Raman Effect'- 'रामन प्रभाव'
'Experimentalism'- प्रयोगवाद'

पारिभाषिक शब्दों का वर्गीकरण :-

डॉ भोलानाथ तिवारी ने 'पारिभाषिक शब्दावली' नामक रचना में पारिभाषिक शब्दों का वर्गीकरण यों किया है-

स्रोत के आधार पर तिवारीजी ने पारिभाषिक शब्दों का तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी तथा संकर शब्दों में वर्गीकरण किया है।

अग्नि - तत्सम

आग - तद्भव

खिचड़ी - देशज

औसत - विदेशी

जाँचकर्ता - संकर (जाँच हिंदी शब्द है और कर्ता संस्कृत शब्द है)

स्रोत के आधार पर परंपरागत शब्द भी हैं, जैसे - संस्कृत शब्द 'देवता'।

दूसरी भाषाओं से ग्रहण किए गए शब्द भी हैं, जैसे - सज़ा (फारसी) टिकट (अंग्रेज़ी) आदि।

रचना के आधार पर -

रचना के आधार पर पारिभाषिक शब्दों के दो भेद हैं -

1. 'मूल' (पाठ, विद्या)

2. यौगिक (प्रयोगशाला, विद्यालय)

प्रयोग के आधार पर -

प्रयोग के आधार पर पारिभाषिक शब्दों के दो भेद किये गए हैं -

i. पूर्ण पारिभाषिक शब्द - 'लेखाकर', 'श्रेणियाँ'

ii. अर्ध पारिभाषिक शब्द - 'अक्षर' (यह

शब्द सामान्य अर्थ में वर्णमाला का कोई वर्ण है तो भाषा विज्ञान में 'syllable' अर्थ में प्रयुक्त होता है।

अर्थ की स्थूलता-सूक्ष्मता के आधार पर

इस आधार पर पारिभाषिक शब्दों के दो भेद हैं, जैसे -

i. संकल्पनाबोधक शब्द - जो सूक्ष्म संकल्पनाओं को प्रस्तुत करता है। उदा : दर्शनशास्त्र में प्रयुक्त 'द्वैतवाद', 'आद्वैतवाद' आदि शब्द।

ii. वस्तुबोधक शब्द - जो वस्तुओं को सूचित करता है। 'पोटासियम', 'मग्नीसियम' आदि।

'अर्थ पारिभाषिक शब्द' सामान्य भाषा में प्रयुक्त होता है और पारिभाषिक रूप में भी प्रयुक्त होता है।

शब्दों की पदीय इकाइयों के आधार पर भेद :-

इस आधार पर पारिभाषिक शब्दों के निम्नलिखित भेद हैं -

- i. एकपदीय शब्द - उदा:- संचिका (File)
- ii. द्विपदीय शब्द - उदा:-रसायन विज्ञान (Chemistry)
- iii. त्रिपदीय शब्द -उदा:- विद्युत धारा मापी (Galvanometer)

पारिभाषिक शब्दों को सुविधा के लिए हम दो भेदों में बाँट सकते हैं -

1. पूर्ण पारिभाषिक शब्द, जो केवल पारिभाषिक शब्द के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे :- परिपत्र (Circular)
2. अर्थ पारिभाषिक शब्द, जो सामान्य शब्द हैं, किंतु संदर्भ की आवश्यकता से पारिभाषिक बनते हैं, जैसे :- आदेश, विज्ञान।

पारिभाषिक शब्दों के प्रयोग से हिंदी के व्यावहारिक, कामकाजी और प्रशासनिक क्षेत्रों में प्रगति हुई है। हिंदी को प्रतिष्ठा दिलाने में पारिभाषिक शब्दावली का महत्वपूर्ण योगदान है। पारिभाषिक शब्दावली हिंदी की प्रयोजनीय पक्ष के लिए अत्यंत उपयोगी है। पारिभाषिक शब्दों

का प्रयोग कार्यालयों के कर्मचारियों को शुरू में कठिन मालूम होंगे और कार्य क्षेत्र में निरंतर उसके प्रयोग से सरल प्रतीत होंगे।

सहायक ग्रंथ :

1. Comprehensive English Hindi Dictionary - डॉ.रघुवीर सिंह

2. प्रयोजनमूलक हिंदी - नरेश मिश्र।

◆ एच.एस.एस.टी

सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल

कटम्मनिट्टा

पत्तनतिट्टा।

(पृ.सं.14 के आगे)

में इस प्रकार हिंदी पढ़नेवाले और हिंदी में तत्पर व्यक्तियों को रोज़गार का अवसर बहुत अधिक है।

सहायक ग्रन्थ एवं वेबसाइट

1. डॉ.जूलिया इम्मानुअल, राजभाषा प्रबंधन ,राजपाल एंड संस, दिल्ली।

2. प्रो.एन.माधवन कुट्टी नायर और डी.कृष्ण पणिकर, प्रयोजनमूलक हिंदी, श्रीकार्तिका पब्लिकेशन्स, तिरुवनंतपुरम।

3. <https://hindi.webdunia.com>

4. <https://www.hindikunj.com>

5. <https://www.hindigurujee.com>

6. <https://www.careerguidancegroup.com>

7. <https://www.amarujala.com>

8. <https://www.sahityase.com>

◆ असिस्टन्ट प्रोफसर

हिन्दी विभाग,

एन.एस.एस कॉलेज,करमना

तिरुवनन्तपुरम।

विदेशों में हिन्दी



भाषा केवल शाब्दिक या सम्प्रेषण की इकाई मात्र नहीं, अपितु मानवीय विकास के सफर की सहभागी भी होती है। बहुभाषा भाषी भारत देश में

स्वतन्त्रता का संदेश देते हुए महात्मागांधी ने देखा कि अगर कोटि-कोटि कंटों से एक ही भाषा निकले तो देशा की एकता सुगम बनेगी। हिन्दी का जन्म इस गौरवमयी भारत भूमि के उदर से हुआ है। इसलिए इसमें भारत की आत्मा सन्निहित है। हिन्दी की वाणी में भारत बोलता है, भारतीय संस्कृति बोलती है। यह भाषा न सिर्फ भारत में, बल्कि विदेशों में भी बोली जानेवाली भाषा है। भाषा सामाजिक संपत्ति है। भाषिक परिवर्तन गुण और परिमाण दोनों रूपों में होते हैं। हिन्दी भाषा भी इसी शाश्वत परिवर्तन-चक्र से गुजर रही है। विश्व की प्रायः सात हज़ार भाषाओं की शृंखला में यह अग्रणी श्रेणी में स्थापित है। भाषा के रूप में हिन्दी की मनोरंजकता आज विश्व भर में इसकी शाब्दिक संपन्नता, साहित्यिकता, आध्यात्मिकता, सांस्कारिकता, मनोरंजकता, संख्या की दृष्टि से महत्ता और बाज़ार की दृष्टि से आज की व्यावसायिकता आदि इस महान भाषा की उपयोगिता के प्रमाण हैं।

हिन्दी भारत की आत्मा है। अनेक वर्षों से वैश्विक पटल पर हिन्दी भाषा का विस्तार हो रहा है। हिन्दी निरंतर अपनी सीमाओं का विस्तार कर रही है। एक चेक नागरिक, प्रमुख शिक्षाविद एवं भारत के पूर्व राजदूत डॉ. ओदेलोन स्मेकल ने हिन्दी में 12 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। उनका यह वाक्य

♦ डॉ.धन्या.एल

देखिए- “हिन्दी ज्ञान मेरे लिए अमृतपान है, जितनी बार उसे पीता हूँ, उतनी बार लगता है, पुनः जीता हूँ।”¹ हिन्दी आज भारतीय भाषा ही नहीं, विश्व भाषा भी है। ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ की परिकल्पना को हिन्दी भाषा के कारण संजीवनी मिल रही है। हिन्दी की वैश्विकता का प्रमाण प्रस्तुत करते हुए ‘आचार्य हज़ारी प्रसाद द्विवेदी स्मृति न्यास’ के अध्यक्ष लक्ष्मीमल्ल सिंघवी जी कहते हैं कि हिन्दी विश्व के कोटि कोटि जनगण का कंठस्वर है। उनकी पहचान है, सांस्कृतिक अस्मिता का मुखर स्वरूप है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का सेतु है।² आज भारत के सिनेमा विश्व स्तर के मानने लगे हैं। विदेशी नागरिकों का हिन्दी फिल्म के प्रति आकर्षण बढ़ा है। विदेशों में हिन्दी का उपयोग बढ़ने का और एक कारण विज्ञापन में हिन्दी का बढ़ता प्रयोग है। हिन्दी विज्ञापनों के ज़रिए चीज़ों का प्रसार बढ़ानेवाली अनेक बहुराष्ट्र कंपनियाँ आज भारत में हैं।

हिन्दी विश्वभाषा है और विदेशों में उसका उपयोग बढ़ता जा रहा है। रूस, जापान, फ़िनलैंड, मॉरीशस, फ़िजी, सूरीनाम, इंडोनेशीया, जावा, सुमात्रा, फ़्रांस, जर्मनी, हंगरी, चीन, रोमानिया आदि कई जगहों में हिन्दी का उपयोग होता है। हिन्दी सूरीनाम, मॉरीशस, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका, ट्रिनिडाड, केनिया, फ़िजी आदि राष्ट्रों में बोली जाती है। रूस, अमेरिका, कनाडा, जापान, स्वीडन आदि राष्ट्रों में प्रमुख भाषा के रूप में हिन्दी पढ़ाई जाती है। मॉरीशस में सन् 1926 में हिन्दी प्रचारिणी सभा की स्थापना ‘तिलक विद्यालय’ नाम से हुई। विश्व भर में समाचार बुलेटिन, सिनेमा तथा कैसट के माध्यम से हिन्दी का प्रसार हो रहा है। भारत के बाहर

हिन्दी भाषा आजकल 176 से ज़्यादा विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है। फ़िजी, गयाना, कंबोडिया, नेपाल आदि राष्ट्रों में हिन्दी स्कूली स्तर पर पढ़ाई जाती है। उत्तर अमेरिका में भी सैकड़ों हिन्दी प्रशिक्षण केंद्र चालू हैं। आजकल हिन्दी 70 से ज़्यादा राष्ट्रों में प्रयुक्त होती है तथा अब हिन्दी ने चीनी भाषा के आगे निकलकर भाषा जाननेवालों की संख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान ग्रहण कर लिया है।

अमेरिका के ही 30 से भी ज़्यादा विश्वविद्यालयों में भाषायी पाठ्यक्रमों में हिन्दी को महत्वपूर्ण दर्जा मिला हुआ है। फ़िजी में तो हिन्दी को राजभाषा का आधिकारिक दर्जा मिला हुआ है। फ़िजी में इसे 'फिजियन हिन्दी' अथवा 'फिजियन हिंदुस्तानी' भी कहा जाता है, जो अवधि, भोजपुरी और अन्य बोलियों का मिला-जुला रूप है। रूस के कई विश्वविद्यालयों में हिन्दी साहित्य पर लगातार शोध हो रहे हैं। ब्रिटेन के लंदन यूनिवर्सिटी, केंब्रिज और यार्क यूनिवर्सिटियों में हिन्दी पढ़ाई जाती है। जर्मनी के कई शिक्षण संस्थानों ने हिन्दी भाषा और साहित्य के अध्ययन को अपनाया है।

आज विदेश के कई देशों में 'हिन्दी' संपर्क भाषा, शिक्षण संस्थानों की भाषा, पत्र-पत्रिकाओं की भाषा, साहित्य सृजन की भाषा आदि दायित्व निभा रही है। यह फ़िजी में अगर फ़िजी बात के नाम से तो सूरीनाम में सूरीनामी हिन्दी के नाम से भी जानी जाती है। विदेशों में हिन्दी का अध्ययन होने के साथ-साथ हिन्दी में पत्रिकाएँ प्रकाशित हो रही हैं। 'भारत दर्शन' न्यूज़ीलैंड से प्रकाशित हिन्दी साहित्यिक पत्रिका है। सरस्वती पत्र कनाडा से प्रकाशित होता है। अन्यथा अमेरिका में रहते भारतीय मित्रों द्वारा प्रकाशित है। प्रवासी भारतियों की कई ई-पत्रिकाएँ निकल रही हैं। कलायन, कर्मभूमि,

हिन्दी जगत, हिन्दी बालजगत एवं विज्ञान प्रकाश 'विश्व हिन्दी न्यास' समिति द्वारा प्रकाशित पत्रिकाएँ हैं। ई-विश्व अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी समिति, सेलम की त्रैमासिक हिन्दी पत्रिका है। 'प्रवासी टूडे' अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक संस्था की पत्रिका है। पुरवाई पत्रिका विदेश से प्रकाशित होकर भी हिन्दी के प्रति अपना दायित्व वहाँ करने में सफल सिद्ध हुई है। चीन में सन् 1942 में हिन्दी अध्ययन शुरू हुआ। सन् 1957 में हिन्दी रचनाओं का चीनी में अनुवाद-कार्य आरंभ हुआ। चीनी भाषा में रवीन्द्रनाथ टागोर की कृतियों, मैला आँचल (फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास, जो हिन्दी का प्रथम आंचलिक उपन्यास है।) आदि का अनुवाद हुआ है। चीन की ऐतिहासिक दीवार की स्वागत शिला पर 'ओम नमो भगवते' हिन्दी में लिखा गया है। अमेरिका का टेक्सास प्रांत हिन्दी लोकप्रियता के मामले में सबसे आगे है। हिन्दी में सर्वप्रथम बी. बी. सी. लंदन ने नियमित समाचारों का प्रसारण शुरू किया था। किन्तु अब वॉइस ऑफ अमेरिका, जर्मन रेडियो, जापान रेडियो, विविध भारती(सिलोण) आदि बहुचर्चित हैं। मॉरीशस, सूरीनाम, फ़िजी, दक्षिण अफ्रीका, ट्रिनिडाड आदि देशों में अब बहुत बड़ी संख्या में हिन्दी संस्थाओं द्वारा हिन्दी शिक्षण-कार्य हो रहा है।

विश्व की अग्रणी भाषाओं में हिन्दी को इसलिए मानते हैं कि इसका व्याकरण विज्ञान संगत है। हिन्दी का पहला व्याकरण सन् 1698 में जॉन जोशवा केटलर ने डच भाषा में लिखा। हिन्दी का पहला शोधकार्य 'तुलसी का धर्म दर्शन' विषय पर सन् 1918 में जे. आर. कापेन्टर ने लंदन विश्वविद्यालय में किया। सन् 1800 में स्थापित 'फोर्ट विलियम कॉलेज, कलकत्ता' में जॉन गिल क्राइस्ट हिन्दी के पहले प्रोफ़ेसर थे। अब

तक प्राप्त जानकारी के अनुसार हिन्दी साहित्य के इतिहास का सर्वप्रथम लेखक एक विदेशी फ्रेंच विद्वान गार्सा द ताँसी है। उन्होंने फ्रेंच भाषा में 'इस्तवार द ला लितेरात्यूर एंद्ई ए ऐंदुस्तानी' नामक ग्रंथ में अंग्रेज़ी वर्णक्रमानुसार हिन्दी और उर्दू भाषा के अनेक कवियों और कवयित्रियों का परिचय दिया है। ग्रंथ के आरंभ में लेखक ने 25 पृष्ठों की भूमिका में हिन्दी साहित्य पर विचार प्रकट करते हुए उर्दू भाषा को हिन्दी के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया है।

सम्पूर्ण भारत वर्ष में पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक हिन्दी का जय निनाद ध्वनित हो रहा है। जिस तमिलनाडु में कभी हिन्दी का विरोध हुआ था वहाँ आज हिन्दी को लेकर अनुकूलता ही नहीं बल्कि अपनत्व और स्नेह का भाव है। लोग हिन्दी गाने सुनते हैं, हिन्दी फिल्मों को देखते हैं, हिन्दी भाषियों के प्रश्नों का उत्तर भी हिन्दी में देते हैं। विद्यालयों और महाविद्यालयों में हिन्दी का पठन-पाठन हिन्दी के विस्तार और विकास का ही सूचक है।

हिन्दी भारत की परिभाषा है। सितंबर का महीना राजभाषा हिन्दी से जुड़ा हुआ है - हिन्दी दिवस, हिन्दी पखवाड़ा तथा हिन्दी माह आचरण आदि किये जाते हैं। विश्व स्तर पर हिन्दी ने अपना संपर्क क्षेत्र विस्तृत किया है। आज वह विश्व भाषा बन गयी है। हिन्दी भाषा का संवर्धन करने के लिए कई संस्थाओं का निर्माण हुआ। अनगिनत सरकारी, गैरसरकारी, साहित्यिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक संस्थाएँ आज भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिन्दी के प्रचार-प्रसार में निरंतर लगी हुई हैं, जैसे-केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, राजभाषा विभाग, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, हिन्दी अनुवाद ब्यूरो, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग आदि। 'वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग' ने विभिन्न विषयों के साढ़े पाँच

लाख से अधिक तकनीकी शब्दों के हिन्दी पर्याय विकसित किये हैं। आयोग ने अपनी समस्त तकनीकी शब्दावली का कम्प्यूटर आधारित डाटा बैंक भी तैयार कर लिया है। हिन्दी को विश्वपटल पर स्थापित करने के पीछे कई सरकारी, गैरसरकारी, भारतीय, प्रवासी भारतीयों की संस्थाओं एवं अन्य विदेशी स्वैच्छिक संस्थाओं का प्रमुख सहयोग रहा है। मॉरीशस के आर्य समाज, हिन्दी लेखक संघ, आर्य परोपकारिणी सभा, तिलक विद्यालय, हिन्दी प्रचारिणी सभा आदि प्रमुख हैं। सूरीनाम के सूरीनामी हिन्दी परिषद, जयप्रकाश हिन्दी संस्थान; संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी परिषद, अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी समिति; कनाडा के हिन्दी परिषद, हिन्दी संघ, हिन्दी लिटररी सोसाइटी एवं मुकुल हिन्दी स्कूल आदि संस्थाएँ हिन्दी प्रचार में लीन हैं। गयाना में हिन्दी प्रचार सभा; इंग्लैंड में हिन्दी समिति, हिन्दी परिषद आदि प्रमुख हैं। भारत की भारतीयता हिन्दी में है। हिन्दी भाषा के प्रति लोकप्रियता बढ़ रही है। आज हिन्दी विश्व के कई देशों के पढ़ाई जाती है।

विश्वपटल पर हिन्दी को स्थापित करने में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गोष्ठियों एवं सम्मेलनों का भी सहयोग रहा है। देश-विदेशों में कई संस्थाएँ निष्काम भाव से हिन्दी के वैश्विक प्रचार-प्रसार के लिए लगातार प्रयत्न कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलनों में कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं - सूरीनाम हिन्दी परिषद द्वारा सन् 1979 में और सन् 1993 में अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी सम्मेलनों का आयोजन; सन् 1993 में स्केण्डेनेविया साहित्य एवं संस्कृति मंच द्वारा नोर्वे में; अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी समिति द्वारा सन् 2000 में आयोजित अधिवेशन आदि। फ़िजी के जोगिंदर सिंह कंवल लिखते हैं- 'हिन्दी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है जो विश्व के लगभग सभी प्रमुख विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है। उसका अब

प्रयत्न विश्व के लिए है तथा वह राष्ट्र संघ की भाषा के लिए प्रयत्नशील है'।³

सम्पूर्ण राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने की सशक्त कड़ी के रूप में हिन्दी को मानकर जनमानस में हिन्दी के प्रति आस्था पैदा करने में महात्मा गांधीजी का योगदान महत्वपूर्ण है। हमारे देश में हिन्दी एकता की कड़ी है। बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली-समझी जानेवाली हिन्दी में देश को एक सूत्र में पिरोनेवाले सभी तत्व मौजूद हैं। महात्मा गांधी ने देश में हिन्दी को जनमानस की भाषा माना था। यही कारण है कि संविधान निर्माताओं ने 14 सितंबर 1949 को हिन्दी को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया था। हिन्दी स्वयमेव राष्ट्रभाषा, लोकभाषा, जनभाषा, संपर्क भाषा, धर्म की भाषा, संस्कृति की भाषा आदि रूपों में देश भर में स्थापित रही। इन्हीं तथ्यों ने इसे स्वाधीनता प्राप्ति के बाद राजभाषा के पद पर आसीन किया। यही कारण है कि 14 सितंबर के दिन प्रतिवर्ष भारत भर में हिन्दी दिवस मनाया जाता है।

हिन्दी भाषा विद्वान श्री रामविलास शर्मा हिन्दी को विश्व भाषा बनाने के पीछे विभिन्न देशों को गए कुली मज़दूरों के सहयोग को मानते हुए कहते हैं-इन्हीं हिन्दी भाषी कुली मज़दूरों ने हिन्दी को विश्वभाषा बनाया है। विश्वभाषा के रूप में हिन्दी दुनिया का भविष्य उज्ज्वल है। साम्राज्यवादी प्रभुत्व के दिन गए।⁴ हिन्दी के वैश्विक विस्तार का एक कारण यह है कि बंधुआ मज़दूरों का खून-पसीना और दूसरा, शिक्षित सक्षम प्रोफेशनल भारतियों का अथक सहयोग। विदेशों में रोज़गार आदि के लिए बसनेवाले भारतीय परस्पर हिन्दी ही बोलते हैं। भारत में रोज़गार आदि के लिए आनेवाले विदेशी अंग्रेज़ी के सिवा टूटी-फूटी हिन्दी में यहाँ के लोगों से बोलने का प्रयास करते हैं। विदेशों में हिन्दी का

उपयोग मुख्यतः भारतवाशियों के द्वारा होता है। विदेश के लोग हिन्दी पढ़ना चाहते हैं तो उसका मुख्य कारण 'वसुधैव कुटुंबकम्' तत्व पर आधारित भूमंडलीकरण है। भूमंडलीकरण से भारत में रोज़गार अवसर विदेश के लोगों के लिए भी बढ़े हैं। भूमंडलीकरण और बाज़ारवाद के चलते सारा संसार एक गाँव में सिमट गया है। सूचनाओं के आदान-प्रदान की भाषा के रूप में हिन्दी की प्रगति तीव्रगामी है। विश्व का दूसरा बड़ा आबादीवाला देश भारत आज सबसे बड़ा खरीददार और उपभोक्ता बाज़ार है। क्रय-विक्रय की प्रक्रिया में भाषा की सबसे बड़ी भूमिका होती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ जाने-अनजाने हिन्दी का प्रचार-प्रसार कर रही हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि भारत वर्ष में यदि सामान बेचना है तो हिन्दी को माध्यम बनाना पड़ेगा। बाज़ार से लेकर विचार तक अपनी सम्प्रेषण क्षमता के कारण हिन्दी का भूमंडलीकृत भाषा के रूप में अनायास प्रचार-प्रसार हो रहा है। हिन्दी के भूमंडलीकरण के प्रति आशावान और सकारात्मक दृष्टि रखते हुए विमलेश कांति वर्मा लिखते हैं 'स्पष्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हिन्दी आज विश्व की एक प्रतिष्ठित भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त भाषा है, जो अपनी संख्या के बल के आधार पर तो विश्व की दूसरी प्रमुख भाषा है ही। वह विश्व की एक ऐसी भाषा है जिसे विश्व के किसी भी देश में बसे हुए भारतीय, चाहे वे मूलतः किसी भी भाषा के बोलनेवाले रहे हों, हिन्दी को अपनी अस्मिता से जुड़ा हुआ मानते हैं, वे उसकी सुरक्षा तथा प्रतिष्ठा के प्रति निरंतर सचेत हैं। हिन्दी आज भारत की ही नहीं, विश्व भाषा का स्थान ले चुकी है'।⁵

हिन्दी विज्ञापन की भाषा बन गयी है। अपनी समवेशी प्रवृत्ति के कारण यह प्रिंट, एलेक्ट्रॉनिक तथा इंटरनेट जैसे माध्यमों से जुड़कर अपनी सार्थकता सिद्ध

कर रही है। सोशल मीडिया के साथ-साथ ब्लॉग और ई-पत्रिकाओं के माध्यम के रूप में हिन्दी जिस तरह पैर पसार रही है उससे उसका वैश्विक भाषा बनने का सपना सच साबित हो रहा है। सामान्य जन से जुड़ने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी भी जनभाषा के सहयोग की अपेक्षा रखती है। आज वेर्चुअल दुनिया में भी हिन्दी अपनी छाप छोड़ने में सक्षम हो रही है। व्हाट्सएप के माध्यम से हिन्दी का प्रयोग बढ़ा है। हिन्दी की यह विशेषता है कि वह अपने को अवसरानुकूल ढालने में सक्षम है। हिन्दी की बढ़ती ताकत को महसूस करते हुए ही एमेज़ोन, फ्लिपकार्ट, ओ. एल. क्स्., क्विकर आदि दुनिया की दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनियाँ हिन्दी जाननेवाले ग्राहकों तक अपनी ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच बनाने के लिए ही हिन्दी में अपने एप लेकर आ चुकी हैं। इंटरनेट पर सरल हिन्दी डॉट कॉम वेब साइट पर हिन्दी शीर्षक के अंतर्गत हिन्दी समाचार, हिन्दी विकिपीडिया, हिन्दी जाल निर्देशिका तथा यूनिकोड संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। यह प्रयास हिन्दी को सामान्य जन तक पहुँचाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भारत से अगर बाहर के मानचित्र पर दृष्टिपात करें तो फ़िजी, गयाना, मॉरीशस, सूरीनाम, त्रिनिडाड आदि देशों में आधी आबादी हिन्दी भाषी है।

हिन्दी एक समृद्ध भाषा है। हिन्दी का स्वरूप आज विराट है। यह ग्लोबल या वैश्विक है। वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना को पलनेवाली संस्कृति की भाषा हिन्दी आज विश्व में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाती जा रही है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि हिन्दी भाषा का प्रचार-प्रसार हर क्षेत्र में हो रहा है। हिन्दी देश-विदेश के हर क्षेत्र में अपना स्थान बना रही है। यह हमारे लिए गौरव की बात है। हिन्दी हमारे देश व भाषा की प्रभावशाली विरासत है। यह सदैव स्मरणीय है कि यदि हिन्दी का गरौव बढ़ता है तो हमारी सांस्कृतिक चेतना भी

गौरवान्वित होती है। विदेशों में बसनेवाले भारतवासी हिन्दी के प्रचार-प्रसार की ओर भी ध्यान देंगे और उसे अपने भारत की सामाजिक संस्कृति और भारत की राष्ट्रभाषा हिन्दी का प्रतिनिधि समझेंगे। हिन्दी हमारे देश व भाषा की प्रभावशाली विरासत है। आशा करती हूँ कि हमारी हिन्दी भाषा का भविष्य उज्ज्वल रहेगा।

संदर्भ -

1. हिन्दी भाषा के विविध रूप, डॉ. पी. लता, प्रकाशक : लोकभारती प्रकाशन
2. विश्व में हिन्दी, डॉ. प्रेमचंद, तक्षशिला प्रकाशन, नई दिल्ली 110002, पृ. सं. 180181
3. वही, पृ. सं. 42
4. वही, पृ. सं. 41
5. वही, पृ. सं. 186

सहायक ग्रंथ -

1. हिन्दी भाषा के विविध स्वरूप, डॉ. पी. लता, लोकभारती प्रकाशन, 2010
2. प्रयोजनमूलक हिन्दी, डॉ. पी. लता, आरती प्रकाशन, ई-28, फॉरेस्ट ऑफिस लेन, वषुतक्काड, तिरुवनंतपुरम-14
3. भारतीय संस्कृति की झाँकियाँ, संपादन डॉ. धन्या एल., प्रकाशक-पुस्तक भारती, टोरोन्टो, कनाडा, 2021
4. केरल हिन्दी साहित्य अकादमी शोध पत्रिका, अप्रैल 2015, तिरुवनंतपुरम, केरल।
5. संग्रथन, अप्रैल 2009, हिन्दी विद्यापीठ, तिरुवनंतपुरम, केरल।

◆ अध्यक्षा एवं सहायक प्राध्यापिका,
हिन्दी विभाग,
के. एस. एम. डी. बी. कॉलेज
शास्तांकोट्टा, कोल्लम।



कंप्यूटर एवं राजभाषा हिन्दी

◆ अजित्रा. आर.एस

आज देश के सरकारी कार्यालयों में कंप्यूटर पर हिंदी के बढ़ते उपयोग ने राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में मदद की है। अब लोग बहुत कम मेहनत से आसानी से कंप्यूटर पर हिंदी का उपयोग कर रहे हैं। कंप्यूटर पर हिंदी भाषा की उपलब्धता बढ़ाने एवं हिंदी फॉन्ट के निर्माण और सुधार में 'सी डैक' जैसी संस्थाओं ने अधिक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। C-DAC को बहुत पहले ही एहसास हो गया था कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रवेश तभी संभव है जब कि हम इस भाषा के विकास के प्रतिबंधों को दूर करने के लिए उपकरण और तकनीक विकसित करेंगे। इसलिए पिछले 25 वर्षों से इस क्षेत्र में अग्रणी शोध कर रहा है। हिंदी सॉफ्टवेयर का कार्य सर्वप्रथम सी डैक द्वारा 90 के दशक में किया गया था। यूनिकोड के आगमन से कंप्यूटर पर अंग्रेज़ी की तरह सभी अनुप्रयोगों में हिंदी का प्रयोग करना संभव हो गया। हिंदी का मानक कीबोर्ड इनस्क्रिप्ट के ज़रिए हिंदी टाइपिंग अधिक लोक प्रिय बन गया। कंप्यूटर में अब देवनागरी लिपि में काम चलने के कारण अंग्रेज़ी से अनभिज्ञ लोग भी ऑनलाइन जाकर हिन्दी में लिखकर काम करते हैं। देश के ग्रामीण लोगों के बीच में भी स्मार्टफोन एवं इंटरनेट का इस्तेमाल अधिक तेज़ी से बढ़ रहा है।

14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया गया। इसके बाद संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गई। इसके फलस्वरूप

आगे भारत सरकार ने राजभाषा के प्रचार-प्रसार के लिए अधिक महत्व दिया। संघ की राजभाषा नीति के अनुसार केंद्रीय सरकार के अधीनस्थ सभी कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग में सक्षम होना अनिवार्य बना और यहाँ के कर्मचारियों के लिए हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान होना पड़ा। 'राजभाषा नियम, 1976' के नियम 10 के अनुसार यदि किसी कर्मचारी ने मेट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर परीक्षा हिन्दी एक विषय के साथ उत्तीर्ण कर ली है तो उसे कार्यसाधक ज्ञान है।

केंद्रीय सरकार के सभी सरकारी-गैर सरकारी कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता रहा है। हिंदी को प्रशासनिक, कार्यालयी व व्यावसायिक स्तरों पर प्रयोग में लाने के लिए शब्दावली निर्माण के साथ-साथ हिन्दी में कार्य करने के लिए कम्प्यूटर, टेलीप्रिंटर व अन्य यांत्रिक साधनों की व्यवस्था व सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं। सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने एवं कर्मचारियों के बीच हिंदी ज़्यादा से इस्तेमाल करने के लिए कार्यालयों के कंप्यूटरों में कई वेब टूल्स स्थापित किये गए।

ऑनलाइन हिंदी तिमाही रिपोर्ट हेतु सूचना प्रबंधन प्रणाली '**राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय**' ने शुरू किया। सभी राजभाषा अधिकारियों एवं विभाग प्रमुखों ने इस पर पंजीकरण खुला करके 'राजभाषा विभाग' के साइट पर जाकर पंजीकरण करें तथा अपने कार्यालय की रिपोर्ट ऑनलाइन भरें। इसका एक फायदा किसी

भी समय पिछले वर्षों के निष्पादन की तुलना करना है।

14 सितंबर 2017 को 'राजभाषा विभाग' द्वारा हिंदी स्वयं शिक्षण हेतु बहुभाषिक 'लीला एप्प' का अनावरण माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा किया गया। 'लीला प्रबोध', 'प्रवीण' तथा 'प्राज्ञ' पाठ्यक्रम हेतु यह एप्प विकसित किया गया है। LILA-Rajbhasha (Learn Indian Languages through Artificial Intelligence) हिंदी सीखने के लिए एक बहुमीडिया आधारित बुद्धिमान अनुप्रयोग है। LILA का उपयोग करना, अपने मोबाइल पर एक भाषा सीखना वास्तव में खेलने के रूप में सुखद हो सकता है। इच्छुक कर्मचारी <https://lilapp.cdac.in/newhome.asp> लिंक पर पंजीकरण करके इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

'राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय' द्वारा विकसित कराया गया एक मशीनी अनुवाद साफ्टवेयर है 'मंत्र राजभाषा'। टैक्नॉलाजी पर आधारित यह सिस्टम 'सीडैक, पुणे' के एप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस ग्रुप द्वारा विकसित किया गया है। 'मंत्र राजभाषा' भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों में मानक तथा शीघ्र गति से हिंदी अनुवाद में सहायता करता है।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने सीडैक पुणे के तकनीकी सहयोग से निर्माण किया बहु उपयोगी शब्दकोश है 'ई-महाशब्दकोश'। इसमें अंग्रेजी का हिंदी पर्याय तथा हिंदी शब्दों का वाक्य में अतिरिक्त प्रयोग देख सकते हैं। इसकी विशेषता यह है कि हिंदी शब्दों का उच्चारण भी सुन सकते हैं।

'केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो' द्वारा केंद्र सरकार के अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन अनुवाद प्रशिक्षण (ईलर्निंग) दिया जाता है।

अनिवार्य प्रशिक्षण संबंधी पाठ्यक्रम <http://ctb.rajbhasha.gov.in/> लिंक पर उपलब्ध है।

श्रुत लेखन एक स्पीच टु टेक्स्ट टूल है। इस विधि में प्रयोक्ता माइक्रोफोन में बोलता है तथा कंप्यूटर में मौजूद स्पीच टु टेक्स्ट प्रोग्राम उसे प्रोसेस कर पाठ/टेक्स्ट में बदल कर लिखता है।

अतः वैश्वीकरण के इस युग में अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी भाषा का भी नेटवर्क पूरे विश्व में फैलता जा रहा है। हिंदी में उपलब्ध अनेक वेबसाइटों के माध्यम से देश-विदेश की खबरों के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है। अब भारत दुनिया के बीच में अपना सिर उठाकर खड़ा है।

जय हिंद जय हिंदी।

◆ हिन्दी अनुवादक
एच एल एल ,आक्कुलम
तिरुवनंतपुरम।

(पृ.सं.10 के आगे)

38. पर्यावरण विश्वकोश - श्याम मनोहर व्यास, हिन्दी बुक सेंटर, नई दिल्ली

39. आयुर्वेदीय विश्वकोश -वैद्य रामजीत सिंह, वैद्यराज हकीम, दलजीत सिंह, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग।
सहायक ग्रंथ :

1. कोश कला-रामचन्द्र वर्मा, साहित्य रत्नमाला कार्यालय, बनारस।

2. कोश विज्ञान सिद्धान्त और प्रयोग - डॉ.हरदेव बाहरी, विश्वविद्यालय प्रकाशन, दिल्ली।

◆ अध्यापिका

सरकारी हायर सेकेंटकी स्कूल, मंडाडु, कोल्लम।

वैज्ञानिक एवं तकनीकी हिन्दी

◆ डॉ.विजयलक्ष्मी.एल



‘भाषा’ अभिव्यक्ति का साधन होती है। भाषा में प्रत्येक देश की संस्कृति और सभ्यता का समावेश रहता है। एक भाषा के रूप में हिन्दी न केवल भारत की पहचान है बल्कि यह सरल-सहज भाषा, हमारे देश के जीवन मूल्यों, संस्कारों व महानता की सच्ची संवाहिका है। सामान्य जन जीवन के संदर्भ में प्रयुक्त होनेवाली भाषा ‘सामान्य हिन्दी’ है और इससे भिन्न किसी विशेष क्षेत्र में उपयोग की जानेवाली भाषा ‘प्रयोजनमूलक भाषा’ कहती है। मानकता, सीधार्थता, औपचारिकता, वैधानिकता आदि प्रयोजनमूलक भाषा की खासियत हैं।

प्रत्येक क्षेत्र के व्यवहार में भाषा के निश्चित रूपों का प्रयोग अपेक्षित है। व्यवहार-क्षेत्र में हिन्दी भाषा का प्रसार इतना व्यापक हो चुका है कि हिन्दी के प्रयोग की विभिन्न प्रयुक्तियों का प्रसारण भी बढ़ रहा है। वैज्ञानिक और तकनीकी कार्य-क्षेत्रों में यही प्रयोजनमूलक भाषा काम आती है। इसलिए डॉ.कैलाशचंद्र भाटिया ने प्रयोजनमूलक हिन्दी को कामकाजी हिन्दी कहा।

‘वैज्ञानिक एवं तकनीकी हिन्दी’ के अंतर्गत विज्ञान और तकनीक के विभिन्न प्रकारों, जैसे - इंजीनियरिंग, संगणक, लुहार का कार्य, चिकित्सा, मिल, प्रैस आदि क्षेत्रों-में प्रयोग में होनेवाली भाषा आती है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी भाषा वस्तुनिष्ठ-विषयनिष्ठ होती है। प्रस्तुत भाषा के संप्रेषण में एक विशेष ज्ञान की आवश्यकता है। आज मानव की ज़िन्दगी में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका दिन -व दिन बढ़ रही है।

इसलिए वैज्ञानिक क्षेत्र के नवीनतम अनुसंधानों से परिचित होना मानव के लिए ज़रूरी पड़ गया है। व्यक्ति के सामान्य दैनिक व्यवहार में भी कभी-कभी नये अविष्कारों से जान-पहचान होती रहती है। इसके लिए वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली को हिन्दी में लाना अपेक्षित है। हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दों का विकास तथा परिभाषा हेतु भारत सरकार ने 1 अक्टूबर 1961 को ‘वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग’ का गठन किया था।

वैज्ञानिक शब्दावली का निर्माण वैज्ञानिक और तकनीकी अभिव्यक्ति को सक्षम बनाने की अहम प्रक्रिया है। नए तकनीकी शब्दों, भाषा रूपों व विलक्षण अभिव्यक्ति शैलियों ने व्यवहार क्षेत्रों में सामाजिक एवं भाषिक दृष्टि से हिन्दी को समृद्ध बनाया। कुछ संस्थाएँ वैज्ञानिक संगोष्ठियों का आयोजन कर रही हैं जिनमें वैज्ञानिक न केवल भाग लेते हैं बल्कि वैज्ञानिक विषयों पर आलेख प्रस्तुतीकरण भी करते हैं।

तकनीकी क्षेत्र में हिन्दी के कंप्यूटरीकरण के स्तर पर देखें तो वर्ड प्रोसेसिंग, पत्र लेखन, रिपोर्ट तैयार करना जैसे कार्य काफी अच्छी स्थिति से चल रहे हैं। माइक्रोसोफ्ट ने व्यावसायिक रूप में हिन्दी के प्रयोग को बहुत बढ़ावा दिया है। बहुत अधिक सॉफ्टवेयर निर्माण अब हिन्दी में काम करने की सुविधा प्रदान करते हैं। वैज्ञानिक व तकनीकी हिन्दी के विकास को अनुवाद, मानकीकरण और अन्य यांत्रिक विकास की स्थितियों के आधारों पर आकलित किया जा सकता

है। अनुवाद कार्य हेतु भारत सरकार ने 'केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो' का गठन किया है। वैज्ञानिक अनुवाद के लिए विशिष्ट शब्दावलियों तथा अभिव्यक्तियों का आवश्यकतानुसार निर्माण कार्य हो रहा है। जैसे-

Inversely proportional- उल्टम अनुपाती

In an atmosphere of - के परिमंडल में

Slightly alkaline - किंचित क्षारीय

ये कुछ वैज्ञानिक अभिव्यक्तियों के नमूने हैं जिनका जिक्र किए बिना वैज्ञानिक हिन्दी का अध्ययन अधूरा रहेगा।

वैज्ञानिक एवं तकनीकी विषय के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति अपेक्षित हैं। क्योंकि अभिव्यक्त विचारों की प्रामाणिकता वैज्ञानिक अनुवाद के लिए ज़रूरी है।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विषयों को हिन्दी भाषा में अभिव्यक्त कर साधारण जनता तक पहुँचने का प्रयास करना चाहिए। देश के विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ-साथ चलना आवश्यक है। कहा जा सकता है कि हिन्दी भाषा आधुनिक जीवन के शिखर तक पहुँचने के लिए हमारा साथ देगी। लोकमान्य तिलक के शब्दों में-राष्ट्र के एकीकरण के लिए सर्वमान्य भाषा से अधिक बलशाली कोई तत्व नहीं। मेरे विचार में हिन्दी ही ऐसी भाषा है। 'वैज्ञानिक तथा तकनीकी हिन्दी' हिन्दी की एक महत्वपूर्ण प्रयुक्ति है।

सहायक ग्रन्थ

प्रयोजनमूलक हिन्दी - डॉ.पी.लता-आरती प्रकाशन- 2006।

◆ अध्यापिका

सरकारी मॉडल हाईस्कूल, मूवाट्टुपुष्पा।

सही उत्तर चुनें

1. संसार के विविध भाषा परिवारों में 'हिन्दी' भाषा का संबन्ध किस भाषा परिवार से है?
 - (अ) द्रविड परिवार
 - (आ) भारोपीय परिवार
 - (इ) तिब्बती-चीनी
 - (ई) सेमेटिक
2. 'शौरसेनी अपभ्रंश' का दूसरा नाम क्या है?
 - (अ) ब्राचड अपभ्रंश
 - (आ) उपनागर अपभ्रंश
 - (इ) नागर अपभ्रंश
 - (ई) अर्धमागधी अपभ्रंश
3. 'अवधी' बोली का संबन्ध किस उपभाषा से है?
 - (अ) पूर्वी हिन्दी
 - (आ) पश्चिमी हिन्दी
 - (इ) राजस्थानी
 - (ई) बिहारी
4. 'उर्दू' मूलतः किस भाषा का शब्द है?
 - (अ) अरबी
 - (आ) फारसी
 - (इ) हिन्दी
 - (ई) तुर्की
5. 'हिन्दी' का संबन्ध किस अपभ्रंश से है?
 - (अ) शौरसेनी
 - (आ) ब्राचड
 - (इ) मागधी
 - (ई) अर्ध मागधी
6. 'राज्य भाषा' को अंग्रेज़ी शब्द क्या है?
 - (अ) National language
 - (आ) Official language
 - (इ) state language
 - (ई) link language

(शेष पृ.सं. 43)

उषा प्रियंवदा की कहानियों में बदलते जीवन-मूल्य



मानवता के विकास से संबंध रखनेवाली एक धारणा है 'मूल्य'। व्यक्ति के जीवन को, उसकी मानसिक, शारीरिक क्रियाओं और

विचारों को सामाजिक सीमाओं के अंतर्गत नियंत्रित रखने के लिए बनाई गई मान्यताओं को मूल्य कहते हैं। मूल्य व्यक्ति तथा समाज के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। यह समय और समाज के अनुसार परिवर्तित होता है। समय बदलने के साथ मानव जीवन में बदलाव आता है। मानव के विचार एवं दृष्टिकोण में भी बदलाव आता है। बदलती मान्यताओं के साथ मूल्य भी परिवर्तित होता है। आधुनिक समाज ने उपयोगिता की दृष्टि पर कुछ मूल्यों को निरर्थक साबित किया।

पुराने आदर्श और समकालीन यथार्थ के बीच का संघर्ष मूल्य-परिवर्तन का कारण बनता है। पुराने मूल्यों को बदलकर नए मूल्यों की स्थापना करने में उपयोगितावादी दृष्टि, क्षणवाद, अस्तित्व-चिंतन आदि भी प्रेरक रहते हैं। पश्चिमी सभ्यता के प्रति आकर्षण ने भारतीय युवकों के मन में अपनी संस्कृति और मूल्यों के प्रति उदासीनता भर ली। नशा का सेवन, स्वच्छंद यौन संबंध, आडंबरपूर्ण जीवन आदि बदलती जीवन दृष्टि के प्रमाण हैं। आज भौतिकवादी दृष्टि ने मूल्यों को अर्थ केन्द्रित बना दिया है। सुख संपन्न जीवन की लालसा ने आदमी को स्वार्थी बना दिया, मानवीय संबंधों में भी दरारे आ गई। जीवन की यांत्रिकता ने व्यक्ति को संवेदना-शून्य बना दिया।

♦ डॉ.एलिसबत जॉर्ज

बदलते जीवन-मूल्यों के कारण व्यक्ति अंदर से टूटी हुई अवस्था में है। आधुनिक समाज की बदलती जीवन-दृष्टि अवमूल्यन की स्थिति को जन्म दे रही है।

हिंदी की सुविख्यात कथा लेखिका उषा प्रियंवदा की कहानियों में समकालीन जीवन का यथार्थ चित्र अंकित हुआ है। उनकी रचनाएँ भारतीय एवं पाश्चात्य परिवेश में बदलते जीवन-मूल्यों को अभिव्यक्त करती हैं। उनके प्रमुख कहानी संकलन हैं - 'कितना बड़ा झूठ', 'एक कोई दूसरा', 'ज़िंदगी' और 'गुलाब के फूल', 'शून्य' तथा अन्य रचनायें आदि। उनकी कहानियाँ परंपरागत मूल्यों के टूटने की कहानियाँ हैं। मूल्यों की स्वीकृति से समाज तथा व्यक्ति कितना खोखला हो गया है, इसकी गवाही इनकी कहानियाँ देती हैं।

मूल्यों का निर्धारण समाज व्यवस्था को बनाए रखने के लिए होता है। लेकिन समकालीन युग में अर्थ की प्रधानता जीवन-दृष्टि में बदलाव लाई। समाज हित की अपेक्षा स्वार्थ चिंता प्रबल हो गई। अर्थ-केंद्रित समाज में धन विहीन व्यक्ति का कोई मूल्य नहीं होता। सेवानिवृत्त वेतन विहीन व्यक्ति की दशा क्या होगी, यह उषा प्रियंवदा की कहानी 'वापसी' में बड़े मर्मस्पर्शी रूप से चित्रित हुआ है। आजीवन परिवार के लिए अपना सब कुछ अर्पित करके वृद्धावस्था में शेष जीवन परिवार के साथ बिताने की आशा व्यर्थ है। बूढ़ों के प्रति होनेवाला व्यवहार बदलते मूल्यों की ओर संकेत करता है। अणु परिवार में जो व्यक्ति उपयोगी नहीं, वह गैर

ज़रूरी हो जाता है। स्नेह, त्याग, सहानुभूति जैसी मनोवृत्तियों का स्रोत सूखकर अर्थाश्रित हो गया है। पुरानी पीढ़ी के प्रति जो श्रद्धा का भाव पहले था, अब अवज्ञा और उपेक्षा का भाव मात्र रह गया है।

उषा जी की 'ज़िंदगी और गुलाब के फूल' कहानी में भी अर्थ-केंद्रित समाज का चित्रण हुआ है। बेरोज़गार, धनविहीन व्यक्ति अपने परिवार और प्रेमिका द्वारा उपेक्षित हो जाता है। अपने ही कमरे की सभी सुविधाएँ कमाऊबहन के कमरे में चली जाती हैं। माँ और संतानों के बीच, भाई और बहन के बीच स्नेह का जो भाव था वह आज गायब हो गया है।

पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण मूल्य परिवर्तन का एक कारण है। मॉडर्न बनने और फैशन के नाम पर आज का सभ्य समाज, पहले जिन बातों को अनैतिक कार्य समझा जाता था उन्हें मान्यता देने लगा है। निराशा और मोहभंग से बचने के उपाय के रूप में नशीले पदार्थों का सेवन आज सामान्य साबात हो गया है। 'ट्रिप' कहानी में प्रोफसर अपनी पत्नी और दोस्तों के साथ नशीले पदार्थों का सेवन करता है। समकालीन उच्चवर्गीय समाज का चित्र यहाँ दर्शाया गया है। 'नींद' कहानी में निराशा और ऊब से बचने के लिए नींद की गोली खाकर जीवन समाप्त करनेवाला पात्र चित्रित हुआ है। शराब, नशीली दवा आदि का व्यापक उपयोग समाज की बदलती जीवन-दृष्टि की सूचना देता है। आज मानव असुरक्षा बोध का शिकार रहे हैं। वह मानसिक रूप से कमज़ोर हो गया है।

आज बदलते जीवन-मूल्यों के कारण परिवार में विघटन और तनाव की स्थिति मौजूद है। संयुक्त परिवार में प्रत्येक सदस्य एक दूसरे का पूरक होता था,

एक दूसरे का सहारा होता था। लेकिन नगरीकरण के फलस्वरूप संयुक्त परिवार का विघटन हुआ। अणु परिवार की स्थापना हुई। सदस्यों की संख्या 3 या 4 तक सीमित हो गयी। उपयोगितावादी दृष्टिकोण में बूढ़ों के लिए कोई मूल्य नहीं रह गया। आदमी ज़्यादा स्वार्थी और अहम केंद्रित हो गया तो परिवार के सदस्यों में मानसिक अलगाव की स्थिति आ गई। अपना दुख, अपनी परेशानी एक दूसरे के साथ बाँटने में वह असमर्थता महसूस करता है। तनाव और कुंठा से पीड़ित आज का मानव सहारे की तलाश में है। 'सुरंग' कहानी में माँ और बेटियों के बीच प्यार का अभाव सा है। गैर ज़रूरी होने की कुंठा में अरुणा आत्महत्या की कोशिश करती है। 'नींद' कहानी की पात्र भी अपनी अकेली, त्रास भरी जिंदगी को समाप्त करने की कोशिश करती है।

संघर्ष भरे माहौल में व्यक्ति को जीना पड़ रहा है। संघर्ष से जूझने में असमर्थ व्यक्तिपलायन की चेष्टा करता है। शून्यताबोध और कुंठा से बचने के लिए आत्महत्या करता है या नशे का सहारा लेता है। 'ट्रिप' कहानी के पात्र सुशिक्षित और उच्च वर्ग से हैं। प्रोफसर अपनी पत्नी और दोस्तों के साथनशेमें डूबा रहता है। उसकी पत्नी अपनी उबाऊजिंदगी से बचने के लिए नशा लेती है। परपुरुषों से संबंध रखती है। उसका पति इसके लिए विरोध नहीं करता। उसकी केवल दो शर्तें हैं- एक वह अपना अफेयर चुपचाप कंडक्ट करेगी, दूसरा इस आयु में वह नये बच्चे की जिम्मेदारी नहीं लेगा। (कितना बड़ा झूठ, संकलन, पृ. 61) इस कथन पर दृष्टि डालने से स्पष्ट होता है कि हमारा सामाजिक नैतिक मूल्य कितना विकृत हो चुका है।

शिक्षित, कामकाजी और स्वावलंबी हो जाने पर

नारी के जीवन में बदलाव आया है। परिवार के सीमित दायरे में रहना आज उसे स्वीकार नहीं। 'दृष्टि दोष' कहानी की चंद्रा क्लब और पार्टियों की फैशन परस्त ज़िंदगी पसंद करती है। परंपरागत परिवार व्यवस्था में जीना उसे मुश्किल हो जाता है। चंद्रा की माँ बेटी को समझाने के बदले विवाह-विच्छेद की प्रेरणा देती है। विवाह की पवित्रता आज नष्ट हो गई है।

स्त्री और पुरुष कामकाजी बनकर घर के बाहर ज़्यादा समय बिताने लगे तो अवैध संबंधों में पड जाने लगे। 'चांदनी में बर्फ पर', 'दो अंधेरे' जैसी कहानियों में अवैध संबंधों का चित्रण हुआ है। 'कितना बड़ा झूठ' कहानी में वैवाहिक संबंध की अर्थशून्यता उजागर हुई है। पति को धोखा देनेवाली पत्नी आज के बदलते जीवन-मूल्यों का प्रतीक है। अवैध संबंध को पाप समझनेवाली पुरानी जीवन-दृष्टि आज बदल गई है। 'कंटी ली छँह' कहानी की राजी का यह कथन इसका प्रमाण है-जीवन की राह पर चलते हुए यदि कोई राही किसी पेड़ की छँह में खड़ा हो जाए तो मैं उसे बुरा नहीं समझती। (ज़िन्दगी और गुलाब के फूल संकलन, पृ.93)।

पुराने जमाने में प्रेम संबंधों को मान्यता विवाह द्वारा मिलती थी। पर आज अविवाहित रहकर साथ-साथ एक छत के नीचे रहनेवालों की संख्या बढ़ रही है। 'संबंध' कहानी की श्यामला पत्नी की ज़िम्मेदारियाँ निभाना नहीं चाहती। इसलिए अविवाहित रहना चाहती है। अविवाहित रहकर साथ रहने में वह पाप नहीं महसूस करती। समकालीन समाज में प्रेम की पवित्रता और मूल्य नष्ट हो चुके हैं। त्याग और समर्पण के स्थान पर आज स्वार्थ और अर्थ की प्रमुखता है। बेहतर ज़िंदगी

पाने के लिए वर्षों पुराने संबंध को त्यागना सहज कार्य हो गया है। अस्थिर प्रेम का चित्रण 'मोहबन्ध', 'कोई नहीं' जैसी कहानियों में हुआ है। 'संबंध' कहानी का नारी पात्र विवाहित व्यक्ति से प्रेम करती है। वह खुद विवाह करना नहीं चाहती। उसकी शर्त केवल यही है कि वे दोनों एक दूसरे पर प्रतिबंध नहीं लगायेंगे, कोई डिमांड नहीं करेंगे, दोनों में से कोई भी एक दूसरे के प्रति ज़िम्मेदार न होगा। (कितना बड़ा झूठ, संकलनपृ.15)। परिवार के लिए अपनी स्वतंत्रता नष्ट करना वह नहीं चाहती। 'प्रतिध्वनियाँ' कहानी की नारी पात्र कामकाजी है, स्वावलंबी है। वह पारिवारिक संबंध को अर्थशून्य समझकर स्वच्छन्द जीवन जीने के लिए तलाक लेती है। जीवन के सीमित दायरे से बाहर आकर आत्मकेंद्रित जीवन जीनेवाली नारी मूल्यों का तिरस्कार करती है।

परंपरागत नैतिक मूल्यों की उपेक्षा तथा अर्थ केंद्रित नये मूल्यों की स्थापना अवमूल्यन की स्थिति बना रही है। उषा प्रियंवदा की कहानियों में समाज के बदलते मूल्यों का चित्रण विभिन्न स्तरों में, विभिन्न जीवन-संदर्भों में सूक्ष्मता से हुआ है।

संदर्भ :

1. 'कितना बड़ा झूठ' कहानी संकलन, उषा प्रियंवदा।
2. 'ज़िन्दगी और गुलाब के फूल' कहानी संकलन, उषा प्रियंवदा।
3. स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी कहानी में मूल्यबोध, दयाकिशनशर्मा, संजय प्रकाशन, दिल्ली।

♦ असिस्टेंट प्रोफसर
सरकारी वनिता कॉलेज
तिरुवनंतपुरम।

नाटककार मृदुला गर्ग: बाल जीवन और नारी जीवन की पारखी



♦ डॉ.सुमा.ए

स्वरूप के आधार पर काव्य के दो भेद हैं - दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। दृश्य काव्य में नाटक महत्वपूर्ण है। संस्कृत में दृश्यकाव्य को रूपक भी कहते हैं। भारत में

नाट्य लेखन की परंपरा अत्यन्त प्राचीन है। इसे 'पंचम वेद' भी माना जाता है। भरतमुनि द्वारा रचित 'नाट्यशास्त्र' को काव्यशास्त्र का आदि ग्रंथ माना जाता है। हज़ारीप्रसाद द्विवेदी ने अपने 'हिन्दी साहित्य की भूमिका' ग्रंथ में नाटक को वेदों से पुराना माना है। भारत में संस्कृत नाटक की एक सुदीर्घ परंपरा रही। भास का 'स्वप्न वासवदत्त', शूद्रक का 'मृच्छकटिकम्', कालिदास के 'मालविकाग्निमित्रं', 'विक्रमोर्वशीयं' और 'आभिज्ञान शाकुन्तलम्' इस परंपरा में प्रमुख हैं।

मध्ययुग में शुरू हुए नाटकों का अभाव उन्नीसवीं सदी के शुरुआती दौर तक रहा। विद्वानों ने नाटकों के अभाव के कुछ कारण बताये हैं। देश में अभिनय कला के दो प्रधान केन्द्र रहे थे- राज सभा और देव मंदिर। आक्रमणकारियों द्वारा इनका विध्वंस होने के कारण नाट्य कला के प्रसारण में भी आघात पहुँचा।

आधुनिक युग में हिन्दी नाटक की शुरुआत भारतेन्दु युग से मानी जाती है। इस युग में अनेक मौलिक तथा अनूदित नाटकों की रचना हुई। भारतेन्दु युग के बाद प्रसाद युग तो नाट्य उत्थान का सुवर्ण युग तो रहा है, नाटकों का साहित्य स्तर तो इस युग में काफ़ी संपन्न रहा, लेकिन रंगमंच से नाटक एकदम कट गये। 'आजातशत्रु', 'जनमेजय का नागयज्ञ' आदि साहित्यिक

दृष्टि से तो अद्वितीय रहे। लेकिन प्रसाद अपने काल्पनिक रंगमंच को व्यावहारिक रूप देने में असमर्थ निकले।

स्वातंत्र्योत्तर युग में हिन्दी नाटक जीवन के यथार्थ से जुड़कर नयी रंग-चेतना लेकर उपस्थिति हुआ। उपेन्द्रनाथ अशक का 'अंजोदीदी', जगदीशचन्द्र माथुर का 'कोणार्क', धर्मवीर भारती का 'अंधायुग', मोहन राकेश के 'आषाढ़ का एक दिन', 'लहरों के राजहंस' और 'आधे अधूरे' इस दृष्टि से प्रमुख हैं। समकालीन युग में कुछ लेखिकाओं ने भी नाटक के क्षेत्र में अपनी पहचान बनायी है। इनमें मृणाल पांडे, मन्नू भंडारी, मृदुला गर्ग, कुसुम कुमार, ममता कालिया आदि प्रमुख हैं।

इन लेखिकाओं ने वर्तमान जनजीवन का चित्रण करके अपने नाटकों को संवेदनशील बनाया है। इनके नाटकों का कथ्य विश्लेषण करने से देखा जाता है कि वर्तमान समाज की समस्याएँ, समाज में नारी की चेतना, आधुनिक स्ववलंबी नारी, विविध कारणों से उद्भूत पारिवारिक विघटन, आधुनिक व्यक्ति के स्वार्थ, अहं, विवाहपूर्व तथा विवाहोपरांत प्रेम संबंध, कुल मिलाकर आधुनिक जनजीवन उनकी रचनाओं में प्रतिबिंबित हुआ है। इनकी रचनाओं की कथावस्तु में आये प्रमुख संवेदनशील तत्व हैं-आधुनिकता, समकालीन नारी चित्रण, तत्कालीन राजनीति का चित्रण, स्वार्थ, अहं आदि।

समकालीनता आज के साहित्य का एक बहुचर्चित विषय है। यह वह मानसिकता है, जिसके

माध्यम से मनुष्य अपने जीवन-मूल्यों को नई दृष्टि से अवलोकन करता है। वह एक ऐसी जीवन-दृष्टि है, जो युग सम्मत जीवनमूल्यों की स्थापना करने का प्रयास करती है। इसमें व्यक्ति-मन का विश्लेषण ही अधिक रहता है। इसमें कथाकार बाहरी परिवेश का चित्रण करने के बजाय बाहरी यथार्थ के कारण व्यक्ति-मन में उत्पन्न हलचल एवं संघर्ष का चित्रण करते हैं।

नवीनता के प्रति उदार दृष्टिकोण आधुनिकता की मुख्य विशेषता है। आधुनिकता किसी काल विशेष में नहीं बाँधती है, वह एक जीवन्त प्रक्रिया है। आधुनिक संस्कृति ने मनुष्य को संवेदनहीन बना दिया है। अकेलापन, अजनबीपन, ऊब, उदासी, मृत्युबोध आदि से आज का व्यक्ति बुरी तरह पीड़ित है। वह स्वार्थी और अहंवादी है।

समकालीन हिन्दी साहित्य की सशक्त लेखिका मृदुला गर्ग जी का जन्म 25 अक्तूबर 1938 को कोलकत्ता शहर में हुआ। उनकी तमाम पढ़ाई दिल्ली में हुई। अर्थशास्त्र में एम. ए करने के उपरांत कुछ साल तक कॉलेज में अध्यापन का कार्य भी किया। उपन्यास उनकी प्रिय विधा है। साथ ही साथ कहानी, निबंध, नाटक एवं यात्रावृत्त की भी रचना की है। 'उसके हिस्से की धूप', 'वंश', 'चित्त काबरा', 'अनित्य', 'कठगुलाब', 'मिलजुल मन', 'बसु का कटुम्ब' आदि उनके उपन्यास हैं। पंद्रह से ज़्यादा कहानी संग्रह प्रकाशित हैं। उनकी अस्सी से ज़्यादा कहानियाँ 'संगति-विसंगति' (दो खंड) नाम से प्रकाशित हुई हैं। अभिनय में रुचि रखनेवाली मृदुला जी ने सन् 1963 से सन् 1979 तक कई नाटकों में अभिनय किया। इनके नाटक हैं 'एक और अजनबी', 'जादू का कालोन', 'तीन कैद', 'साम दाम दण्ड भेद' आदि। 'रंग ढंग', 'चुकते नहीं सवाल', 'कर लेंगे सब हम', 'खेद नहीं है' आदि उनके निबंध संग्रह हैं।

'कुछ अटके, कुछ भटके' नामक यात्रा संस्मरण भी प्रकाशित है। उनकी कई रचनाओं का अनुवाद अंग्रेज़ी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में हुआ है।

मृदुला जी की प्रमुख नाट्य रचना 'एक और अजनबी' स्त्री-पुरुष संबंधों को आधार बनाकर लिखा गया रोचक नाटक है। इसका मुख्य स्वर रिश्ते को सार्थकता और निरर्थकता का बोध करानेवाला है। इसमें लेखिका ने दो पुरुषों के बीच विभाजित नारी के त्रासदी पूर्ण जीवन के द्वंद्वात्मक पक्ष को व्यक्त करने की कोशिश की है। इसमें लेखिका ने आधुनिक क्षणवादी सिद्धांत को अपनाया है। नाटक के प्रारंभ में अपने विचार व्यक्त करते हुए लेखिका कहती हैं- "किसी क्षण कोई रिश्ता बनता है अपने में वह अद्वितीय है। क्षण बीत जाता है, रिश्ता मर जाता है। दूसरे क्षण रिश्ता फिर जन्म लेता है। हर क्षण नया स्वेच्छा से जन्मा। कितनी रोमांचक होती है यह प्रक्रिया।"¹

शानी इस नाटक की नायिका है। वह कॉलेज के दिनों में इंदर खोसला नामक युवक से प्रेम करती थी। लेकिन इंदर के लिए उसका कैरियर ही सबकुछ था। यह बात वह अच्छी तरह समझती है। इसलिए ही शानी अपनी सहेली से कहती है- "मैं उसके लिए सेकंडरी थी। हमेशा दूसरे नंबर पर। पहले उसके लिए था उसका कैरियर"² शानी भी प्रेमी के चले जाने के बाद रोती-चिल्लाती अपनी जिन्दगी गुज़ार करने के लिए तैयार नहीं थी- "स्त्रियों का स्वभाव? घर बैठकर प्रतीक्षा करता उधेड़ उधेड़ कर बुनना? पर मैं शरच्चंद्र की नायिका नहीं हूँ।"³ इंदर के प्रति हुई नाराज़गी के कारण ही वह जगमोहन के साथ शादी करने के लिए तैयार होती है।

शानी के पड़ोस में एक साहित्यकार और एक लेडी डॉक्टर एक साथ रहते थे। वे दोनों पात्र शानी की

अभिलाषाओं के जीवन्त रूप हैं। वे दोनों उस दिवास्वप्न के अंग हैं, जो शानी अपने जीवन में घटित होते देखना चाहती है। यहाँ मृदुला जी एकदम नई नाट्य शैली को अपनाती हैं। दो कहानियाँ समानान्तर चलती हैं। शानी के मन के प्रतिरूप में चित्रित पात्रों के कोई नाम भी नहीं हैं, वे केवल स्त्री और पुरुष हैं।

शानी का पति जगमोहन जिस कंपनी में काम करता था वहाँ मैनेजर के रूप में शानी का पूर्व प्रेमी इंदर खोसला आता है। आधुनिक व्यक्ति तो स्वार्थी है। हर कार्य में वह अपना लाभ ही देखता है। शानी का पति जगमोहन भी महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। अपने काम से असंतुष्ट रहते जगमोहन अपने मैनेजर इंदर को दावत के लिए अपने घर बुलाता है। अफसर के घर आने से पता चलता है कि वह अपनी पत्नी का परिचित है। पत्नी शानी भी पति से यह बात छिपाती है कि अफसर तो अपना पूर्व प्रेमी है। इंदर को अब भी अविवाहित देखकर शानी के मन में अपनी भूल पर ग्लानि एवं पश्चात्ताप होते हैं। शानी एक ऐसी द्वन्द्वात्मक मानसिक स्थिति में पहुंचती है, जहाँ एक ओर वह अपने पति की आकांक्षा का शिकार बनती है तो दूसरी ओर आत्मप्राप्ति की लालसा में अपने पूर्व प्रेमी इंदर खोसला से अपने प्रेम को खोजती है। लेकिन उसकी यह खोज विडम्बना सिद्ध होती है। वह सोचती थी कि इंदर उसे हृदय से प्रेम करता है। जब वह उसे पति की अनुपस्थिति में बाँहों में कसकर भर लेता है और बेडरूम में चलने का संकेत करता है तो इंदर में उसे एक दूसरा व्यक्ति दिखाई देता है। अब शानी के लिए इंदर खोसला अनजान और अजनबी मालूम होता है। उसके जीवन की यही विसंगति है कि एक ओर अपना पति उसके लिए अजनबी ही रहता है तो दूसरी ओर अपना प्रेमी एक और अजनबी सिद्ध होता है।

मृदुला जी के दूसरा नाटक 'जादू का कालीन' का केन्द्रीय विषय है बाल मज़दूरी। गरीबी और भूख से पीड़ित गाँववाले अपने बच्चों को कालीन कारखानों में मज़दूरी के लिए भेजते हैं। कालीन बुनने में कम उम्र के बच्चे ही चुन लिए जाते हैं। इसका कारण यह है कि बच्चों की उंगलियाँ जितनी नाज़ुक होंगी कालीन भी उतना अच्छा ही बुना जाएगा और उसकी कीमत उतनी ही ज़्यादा होगी।

सरसतालाला नामक गाँव में सूखा पड़ने के बाद हुई भीषण स्थिति का चित्रण करती हुई लेखिका जंगलों के विनाश के कारण से उत्पन्न पारिस्थितिक समस्याओं की ओर संकेत करती हैं। सूखे से पीड़ित गाँव में कालीन उद्योग के दलाल आकार गाँव से केशी, संतो, कम्मो, लाखन आदि बच्चों को ले जाते हैं। इन बच्चों को जीने की सुविधाएँ न्यूनतम हैं और काम मशीनों से भी ज़्यादा। बच्चे सपनों के सहारे ही जीते हैं, जादू के कालीन में बैठकर देश जाने का सपना वे देखते हैं। एक लेबर ऑफिसर और समाज सेविका के प्रयत्नों से बच्चों का उद्धार होता है और फिर शुरू होता है उनके पुनर्वास की सरकारी चोंचला। भूख से पीड़ित गाँववालों को रिहैबिलिटेशन के नाम पर गाय दे दी जाती है, जिन्हें अंत में चारे के अभाव में कसाई को बेचने के लिए गाँववाले मजबूर हो जाते हैं। माँ-बाप फिर बच्चों को दलालों को बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इस नाटक में लेखिका ने बालमजदूरी, समाज सेवकों के खोखलेपन आदि का चित्रण किया है।

मृदुला गर्ग जी का 'तीन कैदें' संग्रह में कुल तीन नाटक संकलित हैं। वे हैं 'कितनी कैदें', 'दुलहिन एक पहाड़ की', 'दूसरा संस्करण' आदि। 'कितनी कैदें' लेखिका की उसी नाम से लिखी 'कितनी कैदें' कहानी का नाट्य रूपान्तर है। इसकी कथा नव विवाहित मनोज

और मीना की है। मनोज कोयला बांध पर इंजीनियर है। मीना के ठंडपन से मनोज परेशान है। कोयला बाँध देखने के लिए वे जाते हैं, भूकंप के कारण लिफ्ट में अटक जाते हैं। मृत्युबोध से परेशान मीना अपना अतीत मनोज को बताती है। इसके बाद वह अपने मन की घुटन या कैद में से बाहर निकलती है, लेकिन दूसरी कैद में अटक जाती है। मनोज उसे छोड़ देता है, वह आत्महत्या न करके संघर्ष से लड़ने का निश्चय करती है।

‘कितनी कैदें’ में आधुनिक मनुष्य की उस मानसिकता का चित्रण है जिसके माध्यम से लेखिका जीवन- मूल्यों को नई दृष्टि से अवलोकन करती हैं। इसमें मन का विश्लेषण ही अधिक है। इसमें नारी की मनस्थितियों का मनोवैज्ञानिक चित्रण मिलता है। अपना अतीत पति मनोज को बताकर वह राहत की सास लेती है और उससे पूछती है- “तुमने कहा था तुम बीते हुए कल को भूला दोगे, उसके लिए मुझे नफरत नहीं करोगे।”⁴ ‘कितनी कैदें’ में व्यक्ति मन का विश्लेषण ही अधिक रहता है। इसमें लेखिका बाहरी परिवेश का चित्रण करने के बजाय बाहरी यथार्थ के कारण व्यक्ति के मन में उत्पन्न हलचल एवं संघर्ष का चित्रण करती हैं।

‘दुलहिन एक पहाड़ की’ नाटक में पारिवारिक जड़ता की कैद से मुक्ति पानेवाली दुलहिन की कथा है। इसमें एक लड़की जो अपने जीवन में बिना किसी बंधन से जीती आई थी और विवाह के बाद नई परिस्थिति के अनुरूप अपने को कैसे बदलता है इसका चित्रण हुआ है। बेटा अपनी मर्जी से विवाह कर, बहुत खुली जिन्दगी जीनेवाली लड़की को अपने साथ ले आता है। वह दहेज के रूप में कुछ भी नहीं लाई है, यह देखकर माँ परेशान है। उसकी वेशभूषा भी गाँव की लड़कियों से बिल्कुल अलग है। वह अपनी वेशभूषा परिवार के अनुरूप बदल देती है। वह खिड़की और

दरवाज़े खोलकर रखना तथा पुस्तक पढ़ना चाहती है। पहले सास इसका विरोध करती है, फिर उसका साथ देती है।

‘दूसरा संस्करण’ पति-पत्नी के संबंधों पर लिखा गया नाटक है। इसमें पति-पत्नी अपने वैवाहिक जीवन के दौरान सहज रूप से एक दूसरे के प्रेम-संबंध में पड़ जाते हैं। लेकिन वहाँ अपनी कल्पना पर पानी फेरते देख पुराने रिश्ते पर ही लौट आते हैं। ‘दूसरा संस्करण’ पति-पत्नी के संबंधों का दूसरा संस्करण है।

आधुनिक व्यक्ति आत्मकेन्द्रित है। उसे केवल अपनी प्रगति की चिन्ता है, दूसरों की नहीं। अपने अहं के कारण सब कहीं अपने को अकेला महसूस करता है। अकेलापन से पीड़ित व्यक्ति को मृत्युबोध भी सताने लगता है। ‘दूसरा संस्करण’ की शेफाली मृत्यु शैय्या में पड़ी सोचती है- “वो लोग मेरे कमरे में आते हैं तो लगता है हवा गरम हो गई है। मुझे साँस नहीं आ रहा। बहुत थक जाती हूँ।”⁵ मृत्युबोध की प्रतीक्षा में शेफाली अपने को बिल्कुल अकेली पाती है।

‘साम दाम दण्ड भेद’, एक बाल नाटक है। इसमें साम, दाम, दण्ड और भेद का इस्तेमाल करके एक बंदर के साथ खेलनेवाले बच्चों का चित्रण मिलता है।

संदर्भ-

1. एक और अजनबी, मृदुला गर्ग, नाशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 1978, पृ.सं. 7
2. वही, पृ. 24.
3. वही, पृ.सं. 25.
4. कितनी कैदें, मृदुला गर्ग, 1975, पृ. सं. 39.
5. वही, पृ.सं. 52.

♦ असिस्टेंट प्रोफसर
सरकारी विनिता कॉलेज
तिरुवनंतपुरम।

सूचना प्रौद्योगिकी और हिंदी भाषा पर विचार



सूचना प्रौद्योगिकी

वर्तमान युग की देन है। इसका क्षेत्र इतना विशाल एवं व्यापक है कि दिन-ब-दिन इसकी

आवश्यकता बढ़ती जा रही है। सूचना प्रौद्योगिकी के रूबरू हुए बिना हमारे दिन नहीं गुज़ारते, ऐसी नौबत आ गयी है। कंप्यूटर, इंटरनेट, ई-मेल, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलिप्रिंटर, मोबाइल फोन, एस.एम.एस, एम.एम.एस आदि ने हमारे रोज़मर्रा के जीवन पर हावी कर दिया है। यही नहीं इनकी कोई आयु सीमा भी नहीं है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक इनके प्रभाव के चंगुल में हैं।

‘सूचना’ का मतलब है ‘जानकारी देना’।

यह जानकारी मौखिक, लिखित तथा सांकेतिक भी हो सकती है। ‘तकनीकी’ Technology का समानार्थी शब्द है। ‘तकनीकी’ को प्रौद्योगिकी भी कहा जा सकता है। चीज़ों या कार्यों के बनाने अथवा करने का तरीका प्रौद्योगिकी है। यानि विशिष्ट सैद्धान्तिक ज्ञान का व्यावहारिक ज्ञान में रूपन्तरण ‘प्रौद्योगिकी’ है। संक्षिप्त अर्थ में ‘प्रौद्योगिकी’ औद्योगिक प्रक्रियाओं से जुड़ा है, तो विस्तृत अर्थ में सभी पदार्थों के साथ होनेवाली सभी प्रक्रियाओं से जुड़ा है। प्रौद्योगिकी का शाब्दिक अर्थ कला या हस्तकला है। यह कह सकते हैं कि व्यावहारिक और औद्योगिक कलाओं और प्रयुक्त विज्ञानों से संबंधित अध्ययन या विज्ञान का समूह है प्रौद्योगिकी।

♦ डॉ कमलानाथ एन.एम

आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से भी प्रभावित है हिंदी लेखन। हिंदी जाननेवालों की संख्या विश्व स्तर में बढ़ गयी है। नये अनुसंधानों से पता चलता है कि बोलनेवालों की दृष्टि से हिंदी विश्व स्तर पर प्रथम दर्जा पा चुकी है। संचार, प्रचार-प्रसार की भाषा के रूप में भी हिंदी को स्थान मिला है।

नवीनता के आगमन से पुरातनता का हट जाना या पीछे छूट जाना तो प्रकृति नियम है। इससे संसार भला वाकिफ भी है। तकनीकी पर आश्रित है हर नवीनतम आविष्कार। आम आदमी से बातचीत करने की मज़बूरी या आम आदमी को भी अपने लाभ का साधन बताने की ललक ने व्यापार जगत में भारतीय भाषाओं के प्रयोग की ज़रूरत अनिवार्य बना दी है। अतः सूचना के ज़रिए हिंदी का सर्वांगीण विकास प्रबल हो पा रहा है, जो संप्रेषण का सशक्त माध्यम बन चुका है।

विशेष तकनीक के प्रयोग से होनेवाले आदान-प्रदान को ‘सूचना प्रौद्योगिकी’ कहेंगे। इसके अंतर्गत आनेवाले इलेक्ट्रॉनिक संचार-रेडियो, टेलिफोन, तार, मोबाइल, वीडियो, माइक्रो फोन, इंटरनेट एवं इंटरनेट-से जुड़ी सभी चीज़ों ने सूचना प्रौद्योगिकी में हिंदी भाषा में क्रांति मचायी है। आजकल मुद्रण और नियंत्रण हिंदी में सहज संभव हो रहे हैं। ई-मेल भेजने की सुविधा, हिंदी वेबसाइट, फेसबुक, वेबसाइटों पर हिंदी की विधागत पुस्तकें और पत्रिकाएँ एवं ब्लॉग,

हिंदी शब्दकोश और विश्वकोश आदि भी उपलब्ध हैं। यही नहीं, इंटरनेट के द्वारा ऑनलाइन पुस्तक प्रकाशन, विज्ञापन और चीज़ों का खरीदना-बेचना भी संभव है। हिंदी भाषा की सीख भी हो सकती है। इस प्रकार हिंदी का विकास उत्तरोत्तर बढ़ रहा है।

इंटरनेट के ज़रिए हिंदी भाषा विश्व के सभी लोगों द्वारा पढ़ी या देखी जाती है। भाषाई स्तर पर हिंदी को इंटरनेट पर द्वितीय स्थान प्राप्त है। वर्तमान संदर्भ में हिंदी वैश्विक समुदाय की भाषा बन चुकी है। इंटरनेट के ज़रिए हिंदी कार्यक्रमों की विशाल सूची मिलती है, जैसे कि मनोरंजन कार्यक्रम, हिंदी समाचार, पत्र-पत्रिकाएँ, रेडियो, तथा दूरदर्शन के हिंदी कार्यक्रम भी इंटरनेट के वेबसाइटों पर उपलब्ध हैं। यह कार्यक्रम जब चाहे हम देख या सुन सकते हैं। समय की कोई पाबंदी नहीं है। कभी भी कहीं भी इसका लाभ उठा सकते हैं। ज्ञान-विज्ञान से जुड़ी संस्थाओं के कार्यक्रम भी इंटरनेट की सहायता से संबंधित संस्था के वेबसाइट या ब्लॉग पर प्राप्त हैं। अतः कह सकते हैं कि इंटरनेट में हिंदी का पड़ाव ऊँचा है और ऊँचा होता रहेगा।

टेलिविज़न के अधिकांश चैनल हिंदी के हैं। समाचार, डिस्कवरी, नेशनल जोग्राफी, कार्टून, मनोरंजन कार्यक्रम आदि का प्रसारण भी हिंदी में हो रहा है। फिल्मों की दुनिया में भी हिंदी की पहुँच तेज़ी रफ्तार में है। फिल्मों का भाषान्तरण प्रौद्योगिकी माध्यम से होता है। विश्व भर में बोलीवुड सिनेमा लोकप्रिय बन चुका है।

एफ.एम के द्वारा हिंदी के गीत-संगीत प्रसारित हैं, जिनकी लोकप्रियता भी है। आकाशवाणी से प्रतिदिन प्रसारित इकतीस हिंदी समाचार बुलेटिनों में

छः अन्तर्राष्ट्रीय चैनल पर प्रसारित होते हैं। इसके द्वारा प्रसारित बातों की जानकारी शिक्षित तथा अशिक्षित व्यक्ति भी पा सकते हैं।

इंटरनेट पर हिंदी की संभावनाएँ असीमित हैं। समाज के सभी वर्ग के लोगों को वर्तमान संदर्भ में किसी भी विषय से संबंधित जानकारी इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होती है। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक को यह सूचना देने का अक्षत भण्डार है। इस कारण से वैश्विक स्तर पर इसकी माँग बढ़ गयी है। हमारे दैनिक जीवन में पत्र-पत्रिकाओं का अहमियत स्थान है, क्योंकि यह देश-विदेश के अनेक सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक आदि सभी प्रकार की सूचनाओं से हमें अवगत कराता है। लेकिन मनुष्य की भागदौड़ भरी जिंदगी ने इस वर्तमान इलक्ट्रॉनिक युग में पड़ाव-पड़ाव पर बदलाव लाया है। ज़माना अब बदल चुका है कि पहले हमें सिर्फ हाथ में मिले समाचार पत्र के माध्यम से ही देश भर के, विश्व भर के समाचारों की जानकारी प्राप्त होती थी, लेकिन अब अपनी सुविधा एवं समय के अनुसार चुन-चुनकर ई-समाचार पत्र पढ़ने का मौका इंटरनेट ने खुलकर रखा है। टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, नवभारत टाइम्स, इंडिया टुडे जैसी अनेक वेब पत्रिकाओं के संस्करण प्रकाशित हो रहे हैं।

भारत जैसे विशाल देश में ई-कॉमर्स की होड़ है। व्यापारिक संबंधों की वैश्विक वृद्धि बाज़ारीकरण है। वर्तमान संदर्भ में इसके अर्थ को सीमित दायरे में रख नहीं सकते। भारत के बाज़ार में खुद की बनाई चीज़ों को विश्व बाज़ार में भेजा जा सकता है, साथ ही कई चीज़ें खुद की पसंद के अनुसार खरीद

भी सकते हैं। यह कहना चाहिए कि कोरोना के फैलाव के इस माहौल में ई-कॉमर्स अपने कदम को प्रबल बनाता जा रहा है। वर्तमान संदर्भ में दुनिया एक ग्लोबल बाज़ार बन चुकी है। उत्पादक वर्ग ने अपनी व्यापारिक नीति का निर्माण मज़बूत कर दिया है। वैश्विक पृष्ठभूमि में व्यापार का माहौल बनाना है तो हिंदी को प्राथमिकता देनी होगी यानी ई-कॉमर्स के ज़रिए खरीदारी करने के लिए हिंदी भाषा का इंटरनेट पर ज़्यादा महत्व है। ई-कॉमर्स की दुनिया के इस विश्व बाज़ार में हम छोटे से छोटे और बड़ी से बड़ी चीज़ तक खरीद या बेच सकते हैं। कोरोना की इस संकट स्थिति में लोग मात्र अतिआवश्यक कार्यों की पूर्ति के लिए बाहर निकलते हैं। इस अवसर पर लोग यही पसंद करते हैं कि घर पर ही बैठकर ई-कॉमर्स के वेबसाइटों को खोलकर अपनी पसंदीदा चीज़ों को समय लगाकर, मन लगाकर खोजें और ऑर्डर देकर घर पर ही उसकी प्राप्ति करें। इस प्रकार ई-कॉमर्स प्रगति की ओर अग्रसर है, हिंदी भाषा भी प्रगति पर है।

अनुवाद के क्षेत्र में भी सूचना प्रौद्योगिकी का महत्व बढ़ गया है। कई क्षेत्रों में अनुवाद की तेज़ी आवश्यकता ने सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति मचाई है। कंप्यूटर कई भाषाओं का एक स्थान पर संकुल समाधान है। आजकल हिंदी और भारतीय भाषाओं के बीच अनुवाद को कई सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं और जिसे मुक्त रूप से इंटरनेट पर लाना है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार की चुनौती का सामना करने का समाधान हो जाएँ। इस प्रकार

वैश्विक स्तर पर सूचना प्रेषित करने का उपक्रम हो जाएगा।

अंग्रेज़ी वेबसाइटों की अपेक्षा पहले हिंदी वेबसाइट कम थी। लेकिन अब बदलाव की स्थिति में है, इंटरनेट पर हिंदी वेबसाइटों की कोई कमी नहीं है, दिन व दिन वृद्धि होती रहती है। यह बात जाहिर करती है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी वेबसाइटों की उपयोगिता एवं लोकप्रियता बढ़ती जा रही है।

संक्षेप में कह सकते हैं कि वर्तमान युग में प्रौद्योगिकी का विस्फोटनात्मक विकास हुआ है और हो रहा है। बाज़ार और मीडिया में खूब बदलाव हो रहा है। प्रौद्योगिकी का तेज़ी से विकास शहर दर शहर हो रहा है। वह दिन दूर नहीं कि पूरे गाँव में भी प्रौद्योगिकी का फैलाव हो जाएगा। बाज़ार और मीडिया में भी हिंदी की माँग बढ़ती जा रही है, प्रौद्योगिकी ने ज़रूर इसे आसान बनाया भी है।

♦ हिंदी अध्यापिका,
जी.एच.एस.एस.पेरिडोम,
कन्नूर,
केरल।

सूचना

**NET (हिन्दी) तथा Spoken Hindi
की कक्षाओं में प्रवेश पाने को
इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें -
फोन : 9946253648, 0471 - 2332468**

वार्षिक रिपोर्ट (2021-2022) अखिल भारतीय हिन्दी अकादमी

‘अखिल भारतीय हिन्दी अकादमी’ ने वर्ष 2021-22 में कई ऑन लाइन कार्यक्रम चलाये, जैसे-

10 जनवरी 2021 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से लेकर 3 घंटे तक के कार्यक्रम में अखिल भारतीय हिन्दी अकादमी का पाँचवाँ वार्षिक समारोह तथा विश्व हिन्दी दिवस समारोह चलाये गये। कार्यक्रम का उद्घाटन किया डॉ.रमेश कुमार पांडेयजी (निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय) ने। इस अकादमी की ओर से प्रतिवर्ष वार्षिक समारोह में दिये जानेवाले पुरस्कारों की घोषणा इस कार्यक्रम में की गई और पुरस्कार विजेताओं से कहा गया कि अगले ऑफ लाइन कार्यक्रम में पुरस्कार (नकद पुरस्कार, स्मृति चिह्न और प्रमाण-पत्र) दिए जाएंगे। पुरस्कार विजेता हैं - (1) डॉ.बिन्दु.सी.आर, प्रो.आर.जनार्दनन पिल्लै स्मारक पुरस्कार, प्रायोजक - डॉ.एस.तंकमणिअम्मा। (2) डॉ.जी.गीताकुमारी, प्रो.एन.रामचन्द्रन स्मारक पुरस्कार, प्रायोजक - प्रो.एस.कमलम्मा। (3) अभिनव वी.एस, श्री ई.भार्गवनपिल्लै स्मारक पुरस्कार, प्रायोजक - डॉ.पी.लता। ‘हिन्दी का वैश्विक संदर्भ’ विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी में 10 आलेख प्रस्तुत किये गये।

8 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के परिप्रेक्ष्य में डॉ.एस.तंकमणि अम्माजी की अध्यक्षता में शाम को 6.00 बजे से चलायी गयी राष्ट्रीय संगोष्ठी का ‘उद्घाटन’ डॉ.के.एम.मालती जी ने किया और ‘बीज भाषण’ डॉ.बी.सुधाजी ने दिया। संगोष्ठी का विषय था-‘स्त्री शाक्तीकरण के विविध आयाम-हिन्दी

साहित्य के विशेष संदर्भ में’। कॉलेजों-विश्वविद्यालयों की 9 प्राध्यापिकाओं ने विषय-प्रस्तुति की।

8 मई 2021 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से स्व.कालजयी कथाकार नरेन्द्र कोहली जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ‘कथाकार नरेन्द्र कोहली’ विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी चलायी गयी। संगोष्ठी का उद्घाटन डॉ.जी.गोपिनाथनजी (पूर्व कुलपति, महात्म गाँधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा) ने किया। डॉ.के.सी.अजयकुमारजी (नरेन्द्र कोहलीजी के उपन्यासों के मलयालम अनुवादक) ने बीज भाषण दिया। प्राध्यापकों द्वारा चार आलेख प्रस्तुत किये गये।

31 जुलाई 2021 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से चलायी गयी ‘कथाकार प्रेमचन्द’ विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन डॉ.राकेश कुमार शर्माजी (उप निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय) ने किया। डॉ.पी.लताजी ने बीज भाषण दिया। पाँच आलेख प्रस्तुत किए गए।

14 सितंबर 2021 को शाम को पाँच बजे से ‘हिन्दी दिवस समारोह’ के सिलसिले में ‘राजभाषा हिन्दी’ विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी चलायी गयी। कार्यक्रम के उद्घाटक और मुख्य वक्ता रहे डॉ.भगवती प्रसाद निदारिया जी (पूर्व उप निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय)।

18 सितंबर 2021 को ‘राजभाषा हिन्दी के विविध आयाम’ विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटक और मुख्य वक्ता रहे डॉ.परमान सिंहजी (क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय का क्षेत्रीय केन्द्र, मैसूर)।

(शेष पृ.सं. 50)

प्रिय कथा लेखिका स्मृतिशेष हुई



◆ डॉ.पी.लता

बहुचर्चित हिन्दी कथा लेखिका **श्रीमती मन्नू भंडारी** का जन्म 3 अप्रैल 1931 को मध्यप्रदेश के मन्दसौर जिले के भानपुरा नामक छोटे गाँव में एक संयुक्त मारवाड़ी परिवार में हुआ। पिता का नाम था सुखसंपतराय भंडारी। माता का नाम था अनूपा कुंवरी। घर की पाँच संतानों में सबसे छोटी थीं मन्नू भंडारी, जिनका असली नाम महेन्द्रकुमारी था। घर में सबसे छोटी होने के कारण घरवाले उन्हें 'मन्नू' पुकारते थे।

मन्नूजी की स्कूली शिक्षा अजमेर के 'सावित्री गर्ल्स हाई स्कूल' में हुई। सन् 1945 में मेट्रिक तथा सन् 1947 में इंटरमीडियट परीक्षाएँ उत्तीर्ण हुईं। काशी विश्वविद्यालय में पढ़कर एम ए (हिन्दी) उपाधि प्राप्त की। सन् 1952 में बालीगंज शिक्षा सदन स्कूल में अध्यापिका बनीं। सन् 1961 में 'रानी बिड्ला कॉलेज' में अध्यापिका बनीं। फिर 1964-1991 काल में दिल्ली के प्रसिद्ध कॉलेज 'मिरंडा हाउस' में अध्यापनवृत्ति की। सेवानिवृत्ति के बाद 1992-1994 काल में 'प्रेमचन्द सृजनपीठ, उज्जैन' की निदेशिका रहीं। बालीगंज स्कूल में अध्यापन के दौरान राजेन्द्र यादवजी (1929-2013) से मन्नूजी का परिचय हुआ। सन् 1959 में यह परिचय शादी में परिणत हुआ। सन् 1961 में उनकी पुत्री 'रचना' (टिंकू) का जन्म हुआ। 28 अक्तूबर 2013 को राजेन्द्र यादवजी स्वर्गस्थ हुए।

मन्नूजी ने उपन्यास, कहानी, नाटक आदि लिखे। उपन्यास हैं - एक इंच मुस्कान (1961, राजपाल एण्ड सन्स), आपका बंटी (1971, अक्षर प्रकाशन), कलवा (1971, अक्षर प्रकाशन), महाभोज (1979, राधाकृष्ण प्रकाशन), आसमाता (1981, अक्षर प्रकाशन), स्वामी (1982, नाशनल पब्लिशिंग हाउस) आदि। 'स्वामी' उपन्यास का, फिल्मीकरण भी हुआ। इन उपन्यासों में 'एक इंच मुस्कान' की रचना मन्नूजी ने अपने पति राजेन्द्र यादव के सहयोग से की। यह जनवरी 1961 से दिसंबर 1961 तक एक वर्ष 'ज्ञानोदय' मासिक पत्रिका में धारावाहिक प्रकाशित हुआ, फिर पुस्तक रूप में। दंपत्य जीवन की विसंगतियों का चित्रणवाले इस उपन्यास का पुरुष पात्र 'अमर' राजेन्द्र यादवजी की सृष्टि है और स्त्री पात्र 'रंजना' और 'अमला' मन्नूजी की। बाल मनोविज्ञान पर आधारित 'आपका बंटी' मन्नूजी द्वारा लिखा गया सर्वप्रथम स्वतंत्र उपन्यास है। माता 'शकुन' और पिता 'अजय' के अहं, अलगाव और उनकी दूसरी शादी की त्रासदी का बालक 'बंटी' पर होनेवाले आघात का चित्रण इसमें है। किशोरोपयोगी उपन्यास 'कलवा' में चमार लड़का कलवा परिश्रमी वर्ग का प्रतिनिधि है।

'त्रिशंकु' कहानी संकलन की 'अलगाव' कहानी बेलछी हत्याकांड को आधार बनाकर लिखी गयी थी। इसकी कथावस्तु को आधार बनाकर मन्नूजी ने 'महाभोज' उपन्यास लिखा। सामाजिक विसंगतियों

को देखने तथा यथातथ्य रूप से चित्रित करने की मन्नूजी की विलक्षण क्षमता की बानगी है यह उपन्यास। यह हिन्दी में लिखे गये राजनीतिक उपन्यासों में बहुचर्चित भी है। सन् 1979 में लिखित इस उपन्यास का नाट्य रूपांतर खुद मन्नूजी ने किया। 55 मिनटवाले इस नाट्य रूपांतर को बी.बी.सी, लंदन ने प्रसारित भी किया। 'महाभोज' नाट्य रूपांतर का पुस्तक रूप में प्रकाशन सन् 1983 में 'राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली' ने किया। आधुनिक दांपत्य जीवन की विसंगतियों पर लिखा मन्नूजी का एक नाटक भी प्रकाशित है- 'बिना दीवारों के घर' (1961, राधाकृष्ण प्रकाशन)।

बाल उपन्यास 'आसमाता' में कभी भी आशा न छोड़ने का संदेश मिलता है। इसमें दो प्रकार की संस्कारवाली नारियाँ चित्रित हैं - आधुनिक अहंवादी नारी और प्राचीन परंपरागत नारी। प्रसिद्ध बंगला उपन्यासकार शरदचंद्र चटोपाध्याय की 'स्वामी' कहानी पर आधारित उपन्यास है मन्नूजी का 'स्वामी' उपन्यास। इसमें सौदामिनी नामक पात्र का मानसिक संघर्ष चित्रित हुआ है।

मन्नूजी के पाँच कहानी संकलन प्रकाशित हैं, जैसे- 12 कहानियों का 'मैं हार गयी' (1957; अक्षर प्रकाशन, दिल्ली), 8 कहानियों का 'तीन निगाहों की तस्वीर' (1958, श्रमजीवी प्रकाशन, इलाहाबाद), 8 कहानियों का 'यही सच है' (1966, अक्षर प्रकाशन, दिल्ली) नौ कहानियों का 'एक प्लेट सैलाब' (1968, अक्षर प्रकाशन) नौ कहानियों का 'त्रिशंकु' (1978, अक्षर प्रकाशन) आदि। 50 कहानियों का संग्रह है 'नायक खलनायक विदूषक' (2002)। इस संकलन की अधिकांश कहानियाँ पूर्ववर्ती संकलनों की हैं। इस

संकलन के बारे में मन्नूजी ने कहा है - "जब अपनी संपूर्ण कहानियों को एक जिल्द में प्रस्तुत करने का प्रस्ताव आया तो मैं ने अपनी कहानियों के रचना-क्रम में कोई उलट-फेर नहीं किया। जिस क्रम में संकलन छपे थे, उनकी कहानियों को उसी क्रम में इसमें रखा है, जिससे पाठक मेरी कथा-यात्रा से गुजरते हुए मेरे रचना-विकास को भी जान सकें।" बाल कहानी संकलन 'आँखों देखा झूठ' (1976) में 8 कहानियाँ संकलित हैं। 'त्रिशंकु' संकलन की 'ए खाने आकाश नई' कहानी पर बनी फिल्म है 'जीना यहाँ'। 'यही सच है' कहानी पर 'रजनी गंधा' फिल्म बनी (निर्देशक-बासु चाटर्जी)।

मन्नूजी 'नयी कहानी' के आंदोलन से जुड़ी लेखिका हैं। इस आंदोलन से जुड़े तीन कहानीकार-मोहन राकेश, राजेन्द्र यादव और कमलेश्वर-बहुचर्चित हुए। मन्नूजी भी इस आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गयी थी, जो बाद में 'महाभोज', 'आपका बंटी' जैसे बहुचर्चित उपन्यासों की लेखिका भी बनीं।

आधुनिक जीवन यथार्थ की कथा लेखिका मन्नूजी का 15 नवंबर 2021 को 90 साल की आयु में निधन हुआ। हिन्दी दुनिया की प्रिय लेखिका मन्नू भंडारी जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। 'आपका बंटी' तथा 'महाभोज' जैसे बहुचर्चित उपन्यासों की लेखिका श्रीमती मन्नू भंडारी ने हिन्दी साहित्य में अपनी अमिट छाप छोड़ी है।

◆ मंत्री,
अखिल भारतीय हिन्दी अकादमी
(पूर्व अध्यक्षा, हिन्दी विभाग,
सरकारी महिला महाविद्यालय)

प्रो.आर.जनार्दनन पिल्लै (जीवनी)

♦डॉ.पी.लता

प्रो.आर.जनार्दनन पिल्लै हिन्दी सेवा को राष्ट्रसेवा माने महापुरुष थे। हिन्दी प्रचारक, हिन्दी अध्यापक, मौलिक हिन्दी लेखक, अनुवादक जैसे विविध रूपों में पिल्लैजी ने अपनी व्यक्तिगत छाप छोड़ी है।

27 फरवरी 1919 को चैत्र नक्षत्र में तिरुवनंतपुरम जिले के चिरयनकीषु गाँव में पिल्लैजी का जन्म हुआ। पिता का नाम था पी.के.रामनपिल्लै। माता श्रीमती गौरिअम्मा थीं। पिल्लैजी माता-पिता की चार संतानों में दूसरे थे।

शादी और परिवार :- तिरुवनंतपुरम जिले के करिककम् नामक स्थान में स्थित तोट्टप्पुरम घर की वी.सीतम्मा के साथ सन् 1945 में पिल्लैजी की शादी संपन्न हुई।

जनार्दनन पिल्लै - सीतम्मा दंपतियों के चार संतानें हैं - दो पुत्रियाँ और दो पुत्र। पिता जैसे ही इन चारों संतानों की भी प्रिय भाषा रही 'हिन्दी'।

बड़ा बेटा जे.रामचन्द्रन नायर ने उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय से हिन्दी भाषा और साहित्य में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की। कोच्ची विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में डॉ.एन.रामन नायर के मार्ग-दर्शन में 'आधुनिक हिन्दी कविता में व्यंग्य' विषय पर शोध कार्य करके सन् 1979 में पी.एच.डी उपाधि प्राप्त की। केरल में नायर सर्विस सोसइटी के विविध कॉलेजों में अध्यापनवृत्ति के बाद सन् 2002 में महात्मागाँधी कॉलेज (तिरुवनंतपुरम) के हिन्दी विभागध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त हुए। केरल विश्वविद्यालय में पी.एच.डी के शोध निदेशक भी रहे। जाने-माने हिन्दी लेखक हैं। कई राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। पत्नी हैं श्रीमती वैजयंती।

एकमात्र बेटी डॉ देविका राणी आयुर्वेद मेडिकल अप्सर (सरकार सेवा) है।

पिल्लैजी की संतानों में दूसरी हैं डॉ.एस.तंकमणि अम्मा। तंकमणि अम्माजी अपने हिन्दी सेवा कार्य से इतनी जुड़ी हुई हैं कि हिन्दीतर क्षेत्र केरल की महिला होते हुए भी देश-विदेश के हिन्दी सेवियों को परिचित हैं। तिरुवनंतपुरम के महात्मा गाँधी कॉलेज में स्नातक कक्षा में पढ़कर बी.ए (हिन्दी) उपाधि तथा यूनिवर्सिटी कॉलेज में स्नातकोत्तर कक्षा में पढ़कर एम.ए (हिन्दी) उपाधि प्राप्त कीं। इन दोनों परीक्षाओं में केरल विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम रही। कोच्चिन विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में डॉ.एन.रामन नायर के मार्ग-दर्शन में 'आधुनिक हिन्दी खंडकाव्य' विषय पर शोध करके पी.एच.डी उपाधि प्राप्त की। केरल के कुछ सरकारी कॉलेजों में अध्यापनवृत्ति के बाद कालिकट विश्वविद्यालय और केरल विश्वविद्यालय के हिन्दी विभागों में अध्यापिका रहीं। केरल विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में प्रोफेसर और अध्यक्ष, फाकल्टी ऑफ ओरियेंटल स्टडीस के डीन जैसे पदों को अलंकृत करके सन् 2010 में सेवानिवृत्त हुईं। 'महात्मा गाँधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा' में अकादमिक काउंसिल की सदस्या तथा कार्यकारिणी समिति की सदस्या के पदों पर भी स्तुत्य सेवा की। हिन्दी में कई मौलिक कृतियाँ रची हैं। 'संस्कृति के स्वर' राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त निबंध संकलन है। विविध विधाओं की कई श्रेष्ठ रचनाओं के मलयालम से हिन्दी में तथा हिन्दी से मलयालम में

अनुवाद किये। कई प्रादेशिक, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। पति प्रो.के.आर.सुरेन्द्रनाथ 'महात्मागाँधी कॉलेज, तिरुवनंतपुरम' में गणितशास्त्र विभाग के अध्यक्ष थे। सुरेन्द्रनाथ जी पंतलम् तालुक के कटक्काटु ग्राम में स्थित 'मेलेटत्तु तेक्केतिल घर' के सदस्य हैं। एकमात्र बेटा श्री एम.एस.अनूपनाथ अमेरिका में न्यू जर्सी में सोफ्टवेअर इंजीनियर है। बहू प्रीता अनूप इलक्ट्रॉनिक इंजीनियर है। नाती अनामिकानाथ अमेरिका में स्कूल छात्रा है।

पिल्लैजी की जुड़वीं संतानें हैं श्री जे.शशिकुमारन नायर और स्वर्गीय एस.शांतकुमारी अम्मा। शशिकुमारन नायरजी केरल स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कोरपेरेशन में कर्मचारी थे। प्री.डिग्री तथा स्नातक कक्षा में दूसरी भाषा के रूप में हिन्दी पढ़ी। स्नातक उपाधि के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ा था। विषय 'अर्थ शास्त्र' था। पत्नी श्रीमती वत्सला (लाली) गणितशास्त्र में बी.एस.सी. उपाधि प्राप्त महिला है, जो नर्तन आदि कलाओं में विशेष रुचि रखती है। बेटा एस.जयदेव इंजीनियर है।

स्वर्गीय एस.शांतकुमारी अम्मा, इतिहास में स्नातक उपाधि प्राप्त महिला थी। पति दिवंगत श्री.डी.सुकुमारन नायर स्कूल में अध्यापक थे। दो बेटियाँ हैं - दीपा (स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मुख्य प्रबंधक) और दिव्या (अग्रिकल्चरल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं।)

शिक्षा :- पिल्लैजी ने अपने जन्म स्थान चिरयनकीषु (केरल) के सरकारी स्कूल में पढ़कर सन् 1993 में तिरुवितांकूर सरकार की वी एस एल सी परीक्षा पास की। सन् 1938 में उन्होंने 'दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास' की 'राष्ट्र भाषा' परीक्षा भी पास की। मद्रास विश्वविद्यालय की हिन्दी विद्वान (1944), अलीगढ़ विश्वविद्यालय की हिन्दी एम.ए (1957) आदि उनकी

अन्य उपाधियाँ हैं।

बहुभाषा ज्ञानी :- पिल्लैजी की मातृभाषा मलयालम थी। हिन्दी में उच्च अध्ययन करके वे हिन्दी अध्यापक बने। अंग्रेजी, उर्दु, तमिल आदि भाषाएँ भी वे जानते थे। हिन्दी में मौलिक लेखन तथा अनुवाद करते थे। कठिन प्रयत्न की विजय गाथा :- सन् 1933 में वी एस एल सी परीक्षा उत्तीर्ण हुए तो पिल्लैजी उस प्रमाण पत्र के साथ अपने गाँव में, अपने घर के निकट ही स्थित प्राइमरी स्कूल में गये। इस स्कूल में पिल्लैजी ने तीसरी कक्षा तक पढ़ा था। इस स्कूल के मैनेजर तथा प्रधान अध्यापक श्री नाणुपिल्लै उनके बन्धु भी थे। पिल्लैजी का प्रमाण पत्र देखकर मैनेजर ने बड़ी खुशी के साथ उन्हें प्रथम कक्षा के अध्यापक के पद पर नियुक्ति दी। उस समय सातवीं कक्षा उत्तीर्ण हुए तथा 16 वर्ष की आयुवाले व्यक्ति को प्राइमरी स्कूल में अध्यापक के पद पर नियुक्ति मिलती थी। किन्तु पिल्लैजी को 16 वर्ष की आयु पूरा होने के लिए तीन महीने की कमी थी। अतः स्कूल में पिल्लैजी की नियुक्ति रद्द करने का डी पी आई का आदेश स्कूल मैनेजर को प्राप्त हुआ। यूँ उस स्कूल की नौकरी पिल्लैजी को नष्ट हुई।

पिल्लैजी नयी नौकरी की तलाश में अपने गाँव से तिरुवनंतपुरम पहुँचे। वहाँ सड़क से चलते वक्त उन्होंने एक मकान के फाटक पर एक नामपट्ट देखा। उसमें लिखा हुआ था - 'इटप्पल्ली वी.नारायण पिल्लै, बी.ए, बी.एल, अड्वोकेट, हाईकोर्ट'। पिल्लैजी फाटक खोलकर अंदर गये तो वकील के एक सहायक से मुलाकात हुई। उनकी अनुमति से वकील से भी मिल सके।

पिल्लैजी ने वकील से नारायण पिल्लैजी अपनी स्कूल नौकरी नष्ट होने तथा एक नौकरी की आवश्यकता की बातें जतायीं। वकील ने अपने प्रधान सहायक को बुलाकर पिल्लैजी को भी 'वकील कार्यालय' में सहायक के पद पर नियुक्त करने को कहा। उसी दिन शाम को वकील के ही बुलाने पर पिल्लैजी उनके साथ उनके घर गये। खदर वस्त्रधारी, इंडियन एक्सप्रेस दैनिक के तिरुवनंतपुरम प्रतिनिधि, अच्छे वाग्मी, समीक्षक, राष्ट्रभक्त तथा गान्धीभक्त जैसी कई विशेषताओं से संपन्न था वकील का व्यक्तित्व। वकील के घर में 'रतिसाम्राज्य' (नालप्पाट्टु), 'रमणन' (चड्डम्मुषा) जैसी कई मलयालम कृतियाँ बुक शेल्फ में रखी हुई थीं। वकील की पत्नी श्रीमती डी.सरस्वती अम्मा भी खदर वस्त्र पहनती थीं। वे शिक्षित तथा सुसंस्कृत महिला थीं। 'राष्ट्रभाषा विशारद' परीक्षा उत्तीर्ण हुई थीं। तत्पर व्यक्तियों को घर में हिन्दी पढ़ाती थीं। पिल्लैजी वकील के साथ जब उस घर में गये तब विविध उम्र के करीब दस व्यक्तियों को घर के बरामदे में बेंच पर बिठाकर वे हिन्दी पढ़ा रही थीं। यह दृश्य देखकर पिल्लैजी के मन में भी हिन्दी पढ़ने की कामना हुई। पिल्लैजी की हिन्दी पढ़ने की इच्छा जानकर राष्ट्रभक्त वकील ने उन्हें अपने घर में रहने और हिन्दी पढ़ने की अनुमति दी। अगले दिन से पिल्लैजी 'वकील ऑफिस' का काम करने के बाद सरस्वती अम्माजी के शिष्यत्व में हिन्दी पढ़ने लगे। फिर सरस्वती अम्माजी 'खादी बोर्ड' में मैनेजर के पद पर नियुक्त हुईं।
(बाकी अगले अंक में)

◆ मंत्री,
अखिल भारतीय हिन्दी अकादमी
(पूर्व अध्यक्ष, हिन्दी विभाग,
सरकारी महिला महाविद्यालय)

(पृ.सं.27 के आगे)

7. भारतीय संविधान के किस भाग में 'राजभाषा' के बारे में कहा गया है ?
(अ) भाग 15 (आ) भाग 18
(इ) भाग 16 (ई) भाग 17
8. किस तारीख को हिन्दी भारत की राजभाषा स्वीकृत हुई ?
(अ) 26 जनवरी 1950
(आ) 26 जनवरी 1965
(इ) 14 सितंबर 1949
(ई) 10 जनवरी 1949
9. कुल कितने 'विश्व हिन्दी सम्मेलन' संपन्न हुए ?
(अ) 10 (आ) 11 (इ) 12 (ई) 8
10. भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेदों में 'राजभाषा' के बारे में कहा गया है ?
(अ) 9 (आ) 2 (इ) 8 (ई) 11
11. 'राजभाषा अधिनियम' कब पारित हुआ ?
(अ) 1950 (आ) 1963
(इ) 1955 (ई) 1957
12. भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाएँ कितनी हैं ?
(अ) 14 (आ) 22 (इ) 24 (ई) 18

(शेष पृ.सं. 50)

‘पीलीआँधी’ की ‘सोमा’ एवं ‘द ग्रेट इंडियन किचन’ की ‘निमिशा सजयन’ - नारी अधिकार के संदर्भ में



◆ डॉ. धन्या एल

भारतीय साहित्य की विलक्षण बुद्धिजीवी डॉ. प्रभा खेतान को दर्शन, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र,

विश्व बाज़ार और उद्योग जगत की गहरी जानकारी है और सबसे बढ़कर वे सक्रिय स्त्रीवादी लेखिका हैं। प्रभा खेतान का जन्म 1 नवंबर 1942 को कोलकत्ता के समृद्ध मारवाड़ी परिवार में हुआ था। प्रभाजी ने अपने समाज में उपनिवेशित स्त्री के शोषण, मनोविज्ञान और मुक्ति के संघर्ष पर विचारोत्तेजक लेखन किया। उन्होंने स्त्री को केंद्र में रखकर अपने उपन्यास साहित्य को वैविध्यपूर्ण बनाया। प्रभाजी के शब्दों में “स्त्रीकरण एक अमानवीय व्यवस्था है, जिसके तहत पुरुष ने अपने विचारों एवं अवधारणा के अनुसार स्त्री का निर्माण किया है। ऐसे निर्माण में स्वाभाविक है कि स्त्री की सहमति नहीं रही होगी। साहित्य जगत में तो लेखक ने अपनी कल्पना के अनुसार स्त्री स्वरूप का निर्धारण किया, स्त्री ने स्वयं अपने बारे में, अपनी भावना, अपने इतिहास, अपनी इच्छा-अनिच्छा के बारे में न कभी कुछ कहा और न ही उससे पूछा गया।”¹

प्रभाजी की स्कूली शिक्षा बालीगंज शिक्षा सदन में हुई, कोलकत्ता के प्रेसीडेंसी कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और पी-एच.डी. की दर्शन शास्त्र में। प्रभाजी ने अमेरिका से ब्यूटी थैरापी का कोर्स करके ‘फिगरेट’ नामक महिला स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की। ‘कलकत्ता चेम्बर ऑफ कॉमर्स’ की प्रभाजी एकमात्र

महिला अध्यक्ष थीं और इस दृष्टि से ‘प्रभा खेतान पुरस्कार’ नामक पुरस्कार की स्थापना की गयी, जिसमें प्रत्येक वर्ष अपने क्षेत्र में विशेष योगदान देनेवाली महिला को पुरस्कृत किया जाता है। 20 सितंबर 2008 को उनका निधन हुआ।

आपका रचना-संसार काफी विस्तृत है। उपन्यास, कविता, आत्मकथा, चिंतन ग्रन्थ आदि हिन्दी साहित्य की प्रायः सभी विधाओं पर आपने लेखनी चलायी है। अनेक पुरस्कार भी मिले हैं। आपके प्रमुख उपन्यास हैं- आओ पेपे घर चले (1991), ताला बंदी (1991), अग्निसंभवा (1993), एड्स (1994), छिन्नमस्ता (1994), अपने-अपने चेहरे (1996), पीली आँधी (1997), स्त्री पक्ष (1999) आदि।

स्त्री के अधिकार एवं अस्मिता आज चर्चा का विषय है। लेकिन इस विषय को एक परिभाषा देना कठिन है क्योंकि यह एक विशाल विषय है। नारी मानवीयता के नियमों की कसौटी पर अपने व्यक्तित्व को खोजना ही ‘नारी अधिकार’ है। आज स्त्री स्वयं अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए संघर्षरत है। आज की नारी स्वतंत्र है। पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर चलने की उसमें शक्ति है। अपने प्रेम पीयूष वर्षा से वह सभी का मार्ग प्रशस्त करती है। महिला सशक्तिकरण के जो कानून बने, उनसे सीमित महिलाओं को ही लाभ हो

रहा है। अधिकांश महिलाओं की स्थिति में कोई सुधार नज़र नहीं आता। नारी अधिकार के संबंध में चर्चा करते समय स्वामी विवेकानंद का यह कथन स्मरण करना उचित है -“किसी भी राष्ट्र की प्रगति का सर्वोत्तम थर्मामीटर है, वहाँ की महिलाओं की स्थिति। हमें नारियों को ऐसी स्थिति में पहुँचा देना चाहिए, जहाँ वे अपनी समस्याओं को अपने ढंग से स्वयं सुलझ सकें। हमें नारी-शक्ति के उद्धारक नहीं, वरन् उनके सेवक और सहायक बनना चाहिए। भारतीय नारियाँ संसार की अन्य किन्हीं भी नारियों की भाँति अपनी समस्याओं को सुलझाने की क्षमता रखती हैं। आवश्यकता है उन्हें उपयुक्त अवसर देने की। इसी आधार पर भारत के उज्ज्वल भविष्य की संभावनाएँ सन्निहित हैं।”² वर्तमान सामाजिक संदर्भ में महिलाओं की दशा और दिशा में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है। शिक्षा के प्रचार-प्रसार ने उन्हें आत्मनिर्भर बनाया है। आधुनिक भारत की स्त्री ने स्वयं की शक्ति को पहचान ली है और काफ़ी हद तक अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीख लिया है।

सन् 1997 में प्रकाशित ‘पीली आँधी’ एक मारवाड़ी परिवार (रुंगटा हाउस) को केंद्र में रखकर लिखा गया उपन्यास है। प्रभाजी ने आलोच्य उपन्यास में एक परिवार की तीन पीढ़ियों की कथा रखी है। मारवाड़ी समाज की महिलाओं की स्थिति को बहुत तीखेपन के साथ व्यक्त किया है। आलोच्य उपन्यास पर विचार करते हुए सत्यकामजी लिखते हैं कि “.....मारवाड़ी समाज में नारी की व्यथा और पीड़ा को जिस मार्मिकता और गहराई से प्रभाजी ने व्यक्त किया है, वह अनुपम है।”³ इस उपन्यास की पहली पीढ़ी की स्त्री में चेतना या अंतर्द्वंद्व बहुत दूर की बात है। लेकिन अगली पीढ़ी में

नये ज़माने की स्त्री इस रुंगटा हाउस में आती है जो जीवन के बारे में जागरूक सोच रखती है। ‘पीली आँधी’ उपन्यास का मुख्य पत्र माधो के छोटे भाई सांवर के सबसे छोटे बेटे गौतम की पत्नी है सोमा। वह एक पढ़ी-लिखी लड़की होने के साथ खुले विचारों में पली बड़ी है, अपने जीवन की खुशियों को परिवार व समाज के लिए बलि चढ़ाने को तत्पर नहीं है।

सोमा का विवाह एक ऐसे परिवार में हो जाता है जहाँ स्त्रियों को अनुशासित व नियंत्रण में रखा जाता है। सोमा इन रीति-रिवाजों के विरुद्ध आवाज़ उठाती है। सोमा का वास्तविक विद्रोह तब शुरू होता है जब सोमा यह जान लेती है कि गौतम पुजारी भैया और ड्राइवर के साथ यौन संबंध रखता है और गौतम उसे एक पत्नी व माँ बनने की कोई खुशी देने में असमर्थ है। सोमा पढ़ने का प्रयास करती है। एक दिन वह ताईजी से अपने पढ़ने की इच्छा व्यक्त करती है। तर्क-वितर्क के पश्चात् ताईजी तैयार हो जाती है। सोमा को पढ़ाने के लिए प्रोफेसर सुजीत सेन आते हैं। सोमा मातृत्व के आग्रह में विद्रोही पति गौतम को छोड़कर प्रोफेसर सुजीत सेन के घर में चली जाती है। तब उस पर तरह-तरह के आरोप लगाये जाते हैं। रुंगटा हाउस में हुए झगड़े के दौरान सोमा कहती है, “ताईजी मैं जीना चाहती हूँ, मेरी अपनी ज़िन्दगी... मेरा बच्चा....”⁴ ससुराल में सोमा की ताई(पद्मावती) का कड़ा अनुशासन था। क्या खाना है, कब खाना है, कब उठना है, या कब सोना है, या क्या काम करना है, यह सब ताई तय करती थीं। इस अनुशासन के विरुद्ध आवाज़ उठाते हुए करवा चौथ के व्रत के अवसर पर सोमा ताईजी से पूछती है - “ताईजी इतने नियम आचरण के बावजूद

आज आप कैसे विधवा हो गई? देखिए न निमली बाई को और फिर रेवा बाई को।”⁵

अरविंद जैनजी ने ‘पीली आँधी’ के बारे में विवेचन करते हुए अंकित किया है - “महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि इतनी बेबाकी और रचनात्मक ईमानदारी के साथ इतना कुछ भी कहा नहीं गया था अब तक। यह सब कहने- लिखने के लिए सिर्फ समझ और शब्द ही काफी नहीं, बहुत साहस और संकल्प भी चाहिए।”⁶ प्रभा खेतान के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ कर्तव्य और दायित्वबोध है। स्त्री अगर अपनी स्वतंत्रता चाहती है, तो उसे अपने कर्तव्य और दायित्वबोध का भी उतना ही ज्ञान होना चाहिए। आज तक स्त्री ने अपनी जितनी भी स्वतंत्रता हासिल की है, वह संघर्ष करके ही हासिल की है। सोमा मातृत्व की चाहत में विवाहित पुरुष के साथ बिना विवाह कर अपना घर बसाती है। ‘पीली आँधी’ उपन्यास की नायिका सोमा आधुनिक नारी की प्रतीक है। इसमें स्त्रियों को शिक्षा द्वारा हुए उनके जीवन बदलाव को दर्शाया गया है। देह के अधिकार को दिखाया गया है। प्रस्तुत उपन्यास में विवाहेतर प्रेम-प्रसंगों का भी चित्रण किया गया है, जिसमें दैहिक आकर्षण के साथ मित्रता एवं विवाह की इच्छा सम्मिलित है। इसमें सास-बहू की समस्या भी है। अनुशासनप्रिय ताईजी पढ़ी-लिखी बहू सोमा के नाशते में टोस्ट खाने की ज़िद पर कहती है कि - “चुपचाप जो बना है खा लो, समझी बीणनी। यहाँ सब अलग-अलग कानून नहीं चलेगा और कल से ठीक आठ बजे नहा-धोकर पूजा करके नीचे डाइनिंग रूम में आ जाना।”⁷

प्रभा जी के सामने मुख्य रूप से स्त्री-चेतना एवं अस्मिता का यथार्थबोध है। परिवार की इज़्जत को दाँव

पर रखकर ‘पीली आँधी’ की नायिका सोमा एक क्रांतिकारी कदम उठाती है। वह अपनी माँ बनने के सपने को पूरा करने के लिए अपने करोड़पति पति का घर छोड़कर अपने प्रेमी प्रोफेसर सुजीत के साथ रहने लगती है। प्रस्तुत उपन्यास विवाह संस्था के अस्तित्व को उजागर करता है। इस उपन्यास की नायिका सोमा अपने जीवन के आर्थिक पक्ष को इतना महत्व न देकर अपने मातृत्व व प्रेम-संबंधों को महत्वपूर्ण मानती है। उषा कीर्ति राणावत लिखती हैं - “प्रभाजी के उपन्यासों की नायिका अपनी अस्मिता की पहचान एवं धन कमाने घर से निकलती है। आर्थिक स्वतंत्रता उनके जीवन की पहली शर्त है। लेकिन ‘पीली आँधी’ की नायिका आर्थिक पक्ष को उतना महत्व नहीं देती, वह मातृत्व के लिए अर्थ को छोड़ सकती है।”⁸

आज की नारी विवाह और पति को सर्वस्व मानने को तैयार नहीं है। पुरुष निर्धारित नैतिक मूल्यों के अनुसरण करने के बजाय आज वह अपने नैतिक मूल्यों का निर्माण स्वयं कर रही है। सामाजिक नैतिकता की तुलना में वह व्यक्तिगत नैतिकता को अधिक महत्व देने लगी है। समाज द्वारा स्थापित नैतिक मूल्यों के भय से देह की भूख को दबाने के लिए आज नारी तैयार नहीं है। असंतुप्त नारी चाहे वह मानसिक या शारीरिक जो भी हो, विवाह-संबंध से बाहर दूसरे संबंध ढूँढ़ने से कतराती नहीं। ‘पीली आँधी’ की सोमा विवाहेतर संबंध ढूँढ़ना अपना अधिकार समझती है। विवाहित स्त्री द्वारा दूसरे पुरुष को ढूँढ़ने की प्रवृत्ति के मूल में नारी की यही सोच है कि अपनी देह के बारे में फैसला करने का हक सिर्फ उन्हीं को है। देह के अधिकार के साथ भावनाओं की पूर्ति की खोज ही विवाहेतर संबंधों की ओर नारी को

ले जाती है। प्रभाजी ने विवाह को ओवर डेटड संस्था माना है। उनके अनुसार आनेवाले समाज में स्त्री अधिक मानवी और अधिकार सम्पन्न होगी, विवाह के बंधनों को तोड़ना चाहेगी। “‘पीली आँधी’ भविष्य की स्त्री का सपना भी है और नए संविधान की रूपरेखा भी।”⁹

समाज और राष्ट्र-निर्माण में साहित्य की तरह सिनेमा की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। साहित्य और सिनेमा का मानव जीवन में अत्यधिक महत्व है। जनसंचार माध्यमों में सबसे सशक्त माध्यम है सिनेमा। भारतीय सिनेमा मनोरंजन के साथ-साथ जागृकता और सामाजिक परिवर्तन का भी महत्वपूर्ण काम कर रहा है। साहित्य और सिनेमा भले ही भिन्न माध्यम हों, लेकिन दोनों के केंद्र में समाज ही है। समाज की समस्याएँ हैं, समाज के प्रश्न हैं।

भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में निर्देशक, कथाकार, पटकथा लेखक आदि कई क्षेत्रों में प्रमुख हैं श्री. जियो बेबी। वे मुख्य रूप से मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं। आपका जन्म केरल के कोट्टयम जिले के ईराट्टुपेट्टा नामक स्थान में जून 6 जून 1982 में हुआ था। आपकी माता का नाम श्रीमती एलिकुट्टी और पिता का नाम श्री बेबी जॉर्ज हैं। आपकी पत्नी का नाम बीना है। बेटे का नाम है म्यूज़िक जियो और बेटे का नाम है कथा बीना। उन्होंने बच्चों के नामकरण में भी नवीनता दिखाई। बीकॉम को पढ़ते वक्त उन्होंने दो शॉर्ट फिल्मों का निर्देशन किया। उन्होंने सिनेमा का अध्ययन ‘सेंट जोसफ कॉलेज ऑफ़ कम्युनिकेशन्स, चंगनाशेरी’ में किया। उन्होंने अपने छत्र दिनों के समय ‘सीक्रेट

माइंड’ नामक एक शॉर्ट फिल्म का निर्देशन किया, इसमें उन्होंने समान सेक्स सम्बन्धों पर चर्चा की। ऐसे एक विषय पर शॉर्ट फिल्म लेने के कारण उन्हें कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया। इसके बाद सन् 2007-2010 तक उन्होंने विज्ञापनों के लिए संगीत तैयार किया।

सन् 2010 में जियो बेबी ने अपने करियर की शुरुआत की। वे लोकप्रिय टेलीविज़न धारावाहिकों के शुष्भाती एपिसोडों के लिए पटकथा भी लिखते थे। ‘मध्रविल मनोरमा चैनल’ के लिए ‘मरिमायम’ (2011), ‘मीडिया ऑन’ चैनल के लिए ‘एम 80 मूसा’ (2014), ‘फ्लावर्स’ चैनल के लिए ‘उप्पुम मुलकुम’ (2015) आदि। सहनिर्देशक के रूप में ‘नि को जा चा’ (2013), ‘पोटास बोम्ब’ (2013) और एसोसिएट निर्देशक के रूप में राव (2013) आदि फिल्मों में काम किया। ‘रण्टु पेण्कुट्टिकल’ (2016), ‘कुञ्जु दैवं’ (2017), ‘किलोमीटर्स एंड किलोमीटर्स’ (2020) आदि उनके चर्चित सिनेमा हैं। सर्वश्रेष्ठ बाल अभिनेता के लिए केरल सरकार का पुरस्कार ‘रण्टु पेण्णकुट्टिकल’ के लिए मिला। सर्वश्रेष्ठ बाल अभिनेता को दिया जानेवाला राष्ट्रीय पुरस्कार ‘कुञ्जु दैवं’ फिल्म को मिला। 15 जनवरी 2015 को ‘नेट स्ट्रीम’ में निकला ‘द ग्रेट इंडियन किचन’ आपका चौथा चर्चित सिनेमा है।

नारी सशक्तिकरण पर मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में निकली फिल्म है ‘द ग्रेट इंडियन किचन’। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार एवं केरल फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुए। श्री सुराज वेञ्जारम्मुड़ इस सिनेमा का नायक है और सर्वश्रेष्ठ नायिका को प्राप्त केरल स्टेट

फिल्म पुरस्कार प्राप्त किए निमिशा सजयन इस सिनेमा की नायिका है। यह कहानी भारत के कई परिवारों में देखा जानेवाला यथार्थ है, जहाँ एक महिला संघर्ष कर रही है। उसे अपने पति और उसके परिवार के प्रति प्रतिबद्ध होने की उम्मीद है। फिल्म की शुरुआत एक विशिष्ट 'पेण्डु काणल' (लड़की दखना) से होती है। नायक-नायिका का विवाह होता है। शादी करके दोनों नये जीवन की शुरुआत करते हैं। शादी में आये मेहमानों के जाने के बाद रोज़मर्रा की दौड़-धूप शुरू होती है। रसोई का काम नायिका अकेली ही करती है। ससुर घर में मिक्सर, चक्की या वाशिंग मशीन का उपयोग करने के खिलाफ सलाह देता है। पति सुराज वेञ्जारम्मूट्टु से होटल में खाने के दौरान टेबल मैनेर्स के बारे में बोलती है तो वह नाराज़ हो जाता है। सुराज वेञ्जारम्मूट्टु अपना गस्सा इस तरह से प्रदर्शित करता है कि निमिशा को माफ़ी माँगनी पड़ती है। निमिशा पूरी कहानी में मुख्य पात्र है, पर उसका अस्तित्व गायब दिखता है। सेक्स के वक्त में भी उसे पति से सुख नहीं मिलता। इसके बारे में पति से कुछ बोलती है तो वह गुस्से में बातचीत करता है। यहाँ एक उल्लेखनीय बात यह है कि दोनों पुरुष अपनी-अपनी इच्छा महिला पर थोपते हैं। रात में बिस्तर पर भी उसकी ज़िन्दगी बुरी है। उससे इस बात की उम्मीद की जाती है कि वह रात में सेक्स करने के लिए तैयार रहेगी, भले ही उसकी इच्छा हो या न हो। पति एवं ससुर शबरीमला जाने के लिए तैयार हो रहे हैं तो नायिका चाय के बजाय रसोई से गंदा पानी दोनों को देती है, दोनों गुस्से में रसोई के अंदर आ जाते हैं तो निमिशा गंदा पानी दोनों के मुँह में फेंकती है और पति

का घर छोड़कर चली जाती है। पति का घर छोड़ने के बाद वह डांस स्कूल में काम करती है और अपना अस्तित्व पहचानती है। तलाक़ होने के बाद नायक पुनर्विवाह करता है। यहीं पर फिल्म की कथा खत्म होती है।

पत्नी घर का सारा काम कर रही है। पति आराम से बैठकर योगा कर रहा है। यह सही है? यह मलयालम भाषा में बनी कम बजट की फिल्म है। इसमें बखूबी से भारतीय परिवार के अन्दर मौजूद पितृसत्तामकता को दिखाया गया है। इस फिल्म को एक उल्लेखनीय फिल्म कही जा सकती है।

इस फिल्म के डायरेक्टर जियो बबी के मत में यह हर जगह की कथा है। रसोई घर में एक महिला का संघर्ष भारत की लगभग सभी महिलाओं का संघर्ष है। पुरुष सोचते हैं कि महिलाएँ किसी मशीन की तरह होती हैं। वे चाय बनाने से लेकर कपड़े धोने, बच्चों को पालने तक सभी काम करती हैं। 'द ग्रेट इंडियन किचन' फिल्म की प्रेरणा जियो बेबी को अपने रसोईघर से मिली। उनके शब्दों में "सन् 2015 में शादी होने के बाद मैं रसोई घर में बहुत सारा वक्त गुज़राने लगा, क्योंकि मैं लैंगिक समानता में विश्वास करता हूँ। तब मुझे यह एहसास हुआ कि खाना बनाने में बहुत झेलना पड़ता है। मैं ऐसा महसूस कर रहा था कि मैं किसी जेल में फँस गया हूँ और फिर तभी मैं ने उन महिलाओं के बारे में सोचना शुरू किया, जो इस चक्र से बाहर नहीं आ सकती हैं। इस एहसास ने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। महिलाएँ पुरुषों के बनाये जेल में रह रही हैं। पुरुष निर्णय लेते हैं और महिलाएँ पालन करती हैं।

इसके लिए उन्हें पारिश्रमिक भी नहीं मिलता।”¹⁰ प्रस्तुत सिनेमा यह कहता है कि नारी को अपने अस्तित्व और सम्मान को पहचानना है। आधुनिक नारी आत्मनिर्भरता के साथ जीना अपना अधिकार मानती है। प्रस्तुत सिनेमा के डायरेक्टर जियो बेबी महिलाओं से यह कहना चाहते हैं कि “आप इस(रसोई घर) जेल से बाहर आइए। क्यों बरदाशत करती रहती हैं आप?”¹¹

वर्तमान समय के साहित्य एवं सिनेमा नारी की स्वतन्त्रता अथवा नारी देह की स्वतन्त्रता को उसकी यौन स्वतन्त्रता से जोड़कर देखने का प्रयास कर रहे हैं। महिला का रसोई से संबंध और उसको लेकर महिलाओं के अपने अस्तित्व से जुड़े सवाल को कहने की कोशिश इस फिल्म में की गयी है। अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए घर छोड़नेवाली ‘पीली आँधी’ की नायिका सोमा एवं ‘द ग्रेट इंडियन किचन’ सिनेमा की नायिका जैसे चरित्र निस्संदेह समकालीन नारी अधिकार की विकासोन्मुख यात्रा की सूचक हैं। संबंध-विच्छेद को स्त्री मुक्ति के प्रमाणपत्र के रूप में देखनेवाली स्त्री- मानसिकता इस सिनेमा में द्रष्टव्य है।

उक्त उपन्यास एवं सिनेमा के अध्ययन से यह यथार्थ स्पष्ट होता है कि भारत की नारी कुछ अधिकारों से वंचित अवश्य है। किंतु अपने अधिकारों को हासिल करने के लिए और उनकी रक्षा के लिए वह जो संघर्ष कर रही है निस्संदेह ध्यान देने योग्य है। नारी को अपने अधिकारों के प्रति सजग बनाने में ‘पीली आँधी’ उपन्यास एवं ‘द ग्रेट इंडियन किचन’ सिनेमा की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। अधिकार प्राप्त करने हेतु नारी जो संघर्ष कर रही है, वह बहुआयामी है। वास्तव में इस बहुआयामी संघर्ष को प्रश्रय देना ही उपर्युक्त सिनेमा एवं उपन्यास का

उद्देश्य है। इस दृष्टि से साहित्य एवं सिनेमा की सफलता असंदिग्ध है।

जवाहर लाल नेहरूजी का कथन है “यदि आपको विकास करना है तो महिलाओं का उत्थान करना होगा। महिलाओं का विकास होने पर समाज का विकास स्वतः हो जाएगा।”¹² सन् 2021 के अंतर्राष्ट्रीय वनिता दिन का सूत्र वाक्य है ‘चुनौती के लिए चुनें’ (choose to challenge) है। चुनौती है तो सतर्कता रहेगी, सतर्कता है तो परिवर्तन होगा।

सन्दर्भ

1. विभिन्न परिस्थितियों में जूझती नारी, संपादक- डॉ. मोनिकादेवी, माया प्रकाशन, कानपुर, संस्करण- प्रथम 2020, पृ. सं. 94
2. वही, पृ. सं. 24
3. वही, पृ. सं. 94
4. समकालीन महिला उपन्यासकारों के उपन्यासों में नारी विमर्श, डॉ.मुक्तात्यागी, अमन प्रकाशन, कानपुर, 2012, पृ. सं. 167
5. वही, पृ. सं. 152
6. समकालीन महिला उपन्यासकारों की अस्तित्ववादी चेतना, डॉ.छवि, एस.एस. पब्लिकेशन्स , प्र. वर्ष. 2011, पृ.सं. 147
7. पीली आँधी, प्रभा खेतान ,राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली, पृ. सं. 175
8. समकालीन महिला उपन्यासकारों की अस्तित्ववादी चेतना, डॉ. छवि, एस.एस. पब्लिकेशन्स , प्र. वर्ष. 2011, पृ.सं. 147
9. समकालीन महिला उपन्यासकारों के उपन्यासों में नारी विमर्श, डॉ. मुक्तात्यागी, अमन प्रकाशन,

कानपुर, 2012, पृ.सं. 169

10. bbc.com

11. वही

12. विविध परिस्थितियों में जूझती नारी, संपादक -
मोनिका देवी; मत्या प्रकाशन, कानपुर, पृ.सं. 21

सहायक ग्रन्थ

1. विभिन्न परिस्थितियों में जूझती नारी, संपादक
डॉ.मोनिका देवी, माया प्रकाशन, कानपुर, संस्करण
प्रथम 2020।

2. डॉ.शशिप्रभा पांडे, नारीवादी लेखन दशा और
दिशा, वाङ्मय, जुलाई-दिसंबर 2007।

3. स्त्री विमर्श और समकालीन साहित्यिक सन्दर्भ;
प्रतिभा मुदालियर, अमन प्रकाशन, कानपुर, प्र.वर्ष
2017।

4. समकालीन उपन्यास रचना और परिवेश; नयना,
अक्षय प्रकाशन, दरियागंज, नयी दिल्ली।

5. पीली आँधी, प्रभा खेतान, राजकमल प्रकाशन
नई दिल्ली।

6. समकालीन महिला उपन्यासकारों के उपन्यासों
में नारी विमर्श, डॉ.मुक्तात्यागी, अमन प्रकाशन, कानपुर,
2012।

7. समकालीन महिला उपन्यासकारों की अस्तित्ववादी
चेतना, डॉ.छवि, एस.एस. पब्लिकेशन्स, प्र. वर्ष. 2011।

◆अध्यक्षा एवं सहायक प्राध्यापिका
के. एस. एम. डी. बी. कॉलेज

शास्ताम्कोट्टा,
कोल्लम।

(पृ.सं.38 के आगे)

स्कूलों-कॉलेजों के सात अध्यापकों ने आलेख प्रस्तुत
किये। दो घंटे का कार्यक्रम पूर्वाह्न 11.00 बजे को
शुरू हुआ।

26 सितंबर 2021 को 'हिन्दी पखवाड़ा समारोह' के
सिलसिले में आयोजित 'हिन्दी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता'
का उद्घाटन 'डॉ.जे रामचन्द्रन नायरजी (पूर्व अध्यक्ष,
हिन्दी विभाग, एम.जी.कॉलेज, तिरुवनंतपुरम) ने किया।

पूर्ववत् 2021-2022 वर्ष में भी प्रतिमास दूसरे
शनिवार को इस संस्था के सदस्यों का सम्मेलन चलाये
गये। ऑन लाइन सम्मेलनों में प्रायः सभी सदस्य भाग
लेते थे। नेट क्लास चलाया गया। 'शोध सरोवर पत्रिका'
संस्था की ओर से नियमित रूप से निकाली गयी।

◆ मंत्री

अखिल भारतीय हिन्दी अकादमी।

(पृ.सं.43 के आगे)

सही उत्तर :

- (1) आ, (2) इ, (3) अ, (4) ई,
(5) अ, (6) इ, (7) ई, (8) इ,
(9) आ, (10) ई, (11) आ, (12) आ

मुद्रक तथा प्रकाशक डॉ.पी.लता, आरती, टी.सी. 14/1592, फोरस्ट ऑफिस लेन, वधुतक्काट्टु, तिरुवनन्तपुरम -14 द्वारा अबी
प्रकाशन एन्ड प्री-प्रेस, करुमम्, तिरुवनन्तपुरम -2 में मुद्रित तथा डॉ.पी.लता द्वारा संपादित
Printed & Published by Dr.P.Letha, Arathi, T.C. 14/1592, Forest Office Lane, Vazhuthacaud, Thiruvananthapuram -14,
Printed at Abi Design & Pre-Press, Karumom, Thiruvananthapuram -2 & Edited by Dr. P. Letha